

प्रधानमंत्री कार्यालय

# लोक सभा में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 06 FEB 2020 7:55PM by PIB Delhi

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ। माननीय राष्ट्रपति जी ने न्यू इंडिया का विजन अपने अभिभाषण में प्रस्तुत किया है। 21वीं सदी के तीसरे दशक का माननीय राष्ट्रपति जी का ये वक्तव्य इस दशक के लिए हम सबको दिशा देने वाला, प्रेरणा देने वाला और देश के कोटि-कोटि जनों में विश्वास पैदा करने वाला ये अभिभाषण है।

इस चर्चा में सदन के सभी अनुभवी माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी-अपनी बातें प्रस्तुत की हैं, अपने-अपने विचार रखे हैं। चर्चा का समृद्ध करने का हर किसी ने अपने तरीके से प्रयास किया है। श्रीमान अधीर रंजन चौधरी जी, डॉक्टर शशि थरूर जी, श्रीमान औवेसी जी, रामप्रताप यादव जी, प्रीति चौधरी जी, मिश्रा जी, अखिलेश यादव जी, कई नाम हैं मैं सबके नाम लूं तो समय बहुत जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि हर एक ने अपने-अपने तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। लेकिन एक प्रश्न ये उठा है कि सरकार को इन सारे कामों की इतनी जल्दी क्या है। सब चीजें एक साथ क्यों कर रहे हैं।

मैं शुरुआत में श्रीमान सर्वेश्वर दयाल जी की एक कविता को उजागर करना चाहूंगा और वही शायद हमारे संस्कार भी है, हमारी सरकार का स्वभाव भी है। और उसी प्रेरणा के कारण हम लीक से हटकर के तेज गति से आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल सर्वेश्वर दयाल जी ने अपनी कविता में लिखा है कि .....

लीक पर वे चलें जिनके  
चरण दुर्बल और हारे हैं,  
हमें तो जो हमारी यात्रा से बने  
ऐसे अनिर्मित पन्थ ही प्यारे हैं।

माननीय अध्यक्ष अब इसलिए लोगों ने सिर्फ एक सरकार बदली है, ऐसा नहीं है सरोकार भी बदलने की अपेक्षा की है। एक नई सोच के साथ काम करने की इच्छा के कारण हमें यहां आकर के सेवा करने का अवसर मिला है। लेकिन अगर हम उसी तरीके से चलते तो जिस तरीके से आप लोग चलते थे, उस रास्ते से चलते जिस रास्ते की आपको आदत हो गई थी। तो शायद 70 साल के बाद भी इस देश में से आर्टिकल 370 नहीं हटता। आप ही के तौर तरीके से चलते तो मुस्लिम बहनों को तीन तलाक की तलवार आज भी डराती रहती। अगर आप ही के रास्ते चलते तो नाबालिग से रेप के मामले में फांसी की सजा का कानून नहीं बनता। अगर आप ही की सोच के साथ चलते तो रामजन्मभूमि आज भी विवादों में रहती। अगर आप ही की सोच होती तो करतारपुर कॉरिडोर कभी नहीं बनता।

अगर आप ही के तरीके होते, आप ही का रास्ता होता तो भारत बांग्लादेश सीमा विवाद कभी नहीं सुलझता।

माननीय अध्यक्ष जी

जब माननीय अध्यक्ष जी को देखता हूँ, सुनता हूँ तो सबसे पहले किरण रिजिजू जी को बधाई देता हूँ क्योंकि उन्होंने जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, उस फिट इंडिया मूवमेंट का प्रचार प्रसार बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। वे भाषण भी करते हैं और भाषण के साथ-साथ जिम भी करते हैं। क्योंकि ये फिट इंडिया को बल देने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं मान्य सदस्य का धन्यवाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, कोई इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता है कि देश चुनौतियों से लोहा लेने के लिए हर पल कोशिश करता रहा है। कभी-कभी चुनौतियों की तरफ न देखने की आदत भी देश ने देखी है। चुनौतियों को चुनने का सामर्थ्य नहीं ऐसे लोगों को भी देखा है। लेकिन आज दुनिया की भारत के पास से जो अपेक्षा है.... हम अगर चुनौतियों को चुनौती नहीं देंगे, अगर हम हिम्मत नहीं दिखाते और अगर हम सबको साथ लेकर आगे चलने की गति नहीं बढ़ाते तो शायद देश को अनेक समस्याओं से लम्बे अरसे तक जूझना पड़ता।

और इसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, अगर कांग्रेस के रास्ते हम चलते तो पचास साल के बाद भी शत्रु संपत्ति कानून का इंतजार देश को करते रहना पड़ता। 35 साल बाद भी next generation लड़ाकू विमान का इंतजार देश को करते रहना पड़ता। 28 साल के बाद भी बेनामी संपत्ति कानून लागू नहीं होता। 20 साल बाद भी चीफ ऑफ डिफेंस की नियुक्ति नहीं हो पाती।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार तेज गति की वजह से और हमारा मकसद है हम एक नई लकीर बनाकर के लीक से हटकर के चलना चाहते हैं। और इसलिए हम इस बात को भली-भांति समझते हैं कि आजादी के 70 साल बाद देश लंबा इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है और नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमारी कोशिश है कि स्पीड भी बढ़े, स्केल भी बढ़े। determination भी हो और decision भी हो। sensitivity भी हो or solution भी हो। हमने जिस तेज गति से काम किया है। और उस तेज गति से काम का परिणाम है कि देश की जनता ने पांच साल में देखा और देखने के बाद उसी तेज गति से आगे बढ़ने के लिए अधिक ताकत के साथ हमें फिर से खड़ा करने का मौका दिया।

अगर ये तेज गति न होती तो 37 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट इतने कम समय में नहीं खुलते। अगर गति तेज न होती तो 11 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय का काम पूरा नहीं होता। अगर गति तेज नहीं होती तो 13 करोड़ परिवारों में गैस का चूल्हा नहीं जलता। अगर गति तेज न होती तो 2 करोड़ नए घर नहीं बनते गरीबों के लिए। अगर गति तेज न होती तो लंबे अरसे से अटके हुए दिल्ली की 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां, 40 लाख से अधिक लोगों की जिंदगी जो अधर में लटकी हुई थी। वो काम पूरा नहीं होता। आज उन्हें अपने घर का हक भी मिल गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, यहा पर नॉर्थ ईस्ट की भी चर्चा हुई है। नॉर्थ ईस्ट को कितने दशकों तक इंतजार करना पड़ा वहां पर राजनीतिक समीकरण बदलने का सामर्थ्य हो इतनी स्थिति नहीं है और इसीलिए राजनीतिक तराजू से जब निर्णय होते रहे तो हमेशा ही वो क्षेत्र अपेक्षित रहा है। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट वोट के तराजू से तोलने वाला क्षेत्र नहीं है। भारत की एकता और अखंडता के साथ दूर-दराज क्षेत्र में बैठे हुए भारत के नागरिकों के लिए और उनके सामर्थ्य का भारत के विकास के लिए उपयुक्त उपयोग हो, शक्तियों के काम आए देश को आगे बढ़ाने में काम आए इस श्रद्धा के साथ वहां के एक एक नागरिक के प्रति अपार विश्वास के साथ आगे बढ़ने का हमारा प्रयास रहा है।

और इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट में गत पांच वर्ष में जो कभी उनको दिल्ली उन्हें दूर लगती थी, आज दिल्ली उनके दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई है। लगातार मंत्री ऑफिस का दौरा करते रहे। रात-रात भर वहां रुकते रहे। छोटे-छोटे इलाके में जाते रहे टीयर-2, टीयर-3 छोटे इलाकों में गए लोगों से संवाद किया उनमें लगातार विश्वास पैदा किया। और विकास की जो आवश्यकताएँ होती थी 21वीं सदी से जुड़ी हुई चाहे बिजली की बात हो, चाहे रेल की बात हो, चाहे हवाई अड्डे की बात हो, चाहे मोबाइल कनेक्टिविटी की बात हो, ये सब करने का हमने प्रयास किया है।

और वो विश्वास कितना बड़ा परिणाम देता है जो इस सरकार के कार्यकाल में देखा जा रहा है। यहां पर एक बोडो की चर्चा आई। और ये कहा गया कि ये तो पहली बार हुआ है। हमने भी कभी ये नहीं कि ये पहली बार हुआ है हम तो यही कह रहे हैं प्रयोग तो बहुत हुए हैं और अभी भी प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन.....लेकिन.... जो कुछ भी हुआ राजनीतिक तराजू से लेखा जोखा करके किया गया है। जो भी किया गया आधे-अधूरे मन से किया गया। जो भी किया गया एक प्रकार से खाना-पूर्ति की गई। और उसके कारण समझौते कागज पर तो हो गए, फोटो भी छप गई वाह-वाही भी हो गई। बड़े गौरव के साथ आज उसकी चर्चा भी हो रही है।

लेकिन कागज पर किए गए समझौते से इतने सालों के बाद भी बोडो समझौते की समस्या का समाधान नहीं निकला। 4 हजार से ज्यादा निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां समाज-जीवन को जो संकट में डाले ऐसी होती चली गई। इस बार जो समझौता हुआ है वो एक प्रकार से नार्थ ईस्ट के लिए भी और देश में आम इंसानों को इंसाफ करने वालों के लिए एक संदेश देने वाली घटनाएं हैं। ये ठीक है कि हमारी जरा वो कोशिश नहीं है ताकि हमारी बात बार-बार उजागर हो, फैले, लेकिन हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे।

लेकिन इस बार के समझौते की एक विशेषता है। सभी हथियारी ग्रुपस एक साथ आए हैं, सारे हथियार और सारे अंडरग्राउंड लोग सरेंडर किए हैं। और दूसरा उस समझौते के एग्रीमेंट में लिखा है कि इसके बाद बोडो समस्या से जुड़ी हुई कोई भी मांग बाकी नहीं है। नार्थ-ईस्ट में हम सबसे पहले सूरज तो पहले उगता है। लेकिन सुबह नहीं आती थी। सूरज तो आ जाता था। अंधेरा नहीं छंटता था। आज मैं कह सकता हूं कि आज नई सुबह भी आई है, नया सवेरा भी आया है, नया उजाला भी आया है। और वो प्रकाश, जब आप अपने चश्मे बदलोगे तब दिखाई देगा।

मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं ताकि आप बोलने के बीच-बीच में आप मुझे विराम दे रहे हैं।

कल यहां स्वामी विवेकानंद जी के कंधों से बंदूके फोड़ी गई। लेकिन मुझे एक पुरानी छोटी सी कथा याद आती है। एक बार कुछ लोग रेल में सफर कर रहे थे। और जब रेल में सफर कर रहे थे तो रेल जैसे गति पकड़ती थी जैसे पटरी में आवाज आती है... सबका अनुभव है। तो वहां बैठे हुए एक संत महात्मा थे तो उन्होंने कहा कि देखो पटरी में से कैसी आवाज आ रही है। ये निर्जीव पटरी भी हमें कह रही है कि प्रभु कर दे बेड़ा पार.... तो दूसरे संत ने कहा नहीं यार मैंने सुना मुझे तो सुनाई दे रहा है कि प्रभु तेरी लीला अपरम्पार..... प्रभु तेरी लीला अपरम्पार..... वहां एक मौलवी जी बैठे थे उन्होंने कहा कि मुझे तो सुनाई दे रहा है दूसरा... संतों ने कहा कि आपको क्या सुनाई दे रहा है उन्होंने कहा मुझे सुनाई दे रहा है या अल्लाह तेरी रहमत... या अल्लाह तेरी रहमत तो वहां एक पहलवान बैठे थे उन्होंने कहा मुझे भी सुनाई दे रहा है तो पहलवान ने कहा मुझे सुनाई दे रहा है। खा रबड़ी कर कसरत... खा रबड़ी कर कसरत...

कल जो विवेकानंद जी के नाम से कहा गया जैसी मन की रचना होती है वैसी ही सुनाता है .... आपको ये देखने के लिए इतना दूर नजर करने की जरूरत ही नहीं थी बहुत कुछ पास में है।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी किसानों के विषय में भी बातचीत हुई है। बहुत से महत्वपूर्ण काम, और बहुत से नए तरीके से, नई सोच के साथ पिछले दिनों किया गया है और आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उसका जिक्र भी किया है। लेकिन जिस प्रकार से यहां चर्चा करने का प्रयास हुआ है। मैं नहीं जानता कि वो अज्ञानवश है या जानबूझ कर कह रहे हैं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं अगर जानकारी हो भी तो शायद हम ऐसा न करते।

हम जानते हैं कि डेढ़ गुना अलग से करने वाला विषय है। कितने लंबे समय से अटका हुआ था। हमारे समय का नहीं था पहले का था लेकिन ये किसानों के प्रति हमारी जिम्मेवारी थी कि उस काम को भी हमने पूरा कर दिया। मैं हैरान हूँ। सिंचाई योजनाएं 20-20 साल से पड़ी हुई थीं। कोई पूछने वाला नहीं था। फोटो निकलवा दी बस काम हो गया। हम को ऐसी 99 योजनाएं को हाथ लगाना पड़ा। 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करके उनको logical end तक ले गए और अब किसानों को उसका फायदा होने शुरू होने लगा है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस व्यवस्था से किसानों में लगातार विश्वास पैदा हुआ है। किसानों की तरफ से करीब 13 हजार करोड़ रुपया प्रीमियम आया है। लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण जो नुकसान हुआ उसके तहत करीब 56 हजार करोड़ रुपये किसानों को बीमा योजना से प्राप्त हुआ है। किसान की आय बढ़े है ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। Input cost कम हो ये प्राथमिकता है। और पहले एमएसपी के नाम पर क्या होता था हमारे देश में पहले 7 लाख टन दाल और तिलहन की खरीद हुई है। हमारे कार्यकाल में 100 लाख टन। e-nam योजना आज डिजिटल वर्ल्ड है हमारा किसान मोबाइल फोन से दुनिया के दाम देख रहा है, समझ रहा है। e-nam योजना के नाम किसान अपना बाजार में माल बेच सकते हैं। और मुझे खुशी है कि गांव का किसान इस व्यवस्था से करीब पौने 2 करोड़ किसान अब तक उससे जुड़ चुके हैं। और करीब-करीब 1 लाख करोड़ का कारोबार किसानों ने अपनी पैदावार का इस e-nam योजना से किया है। हमने किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार हो, इसके साथ-साथ अनेक allied activity चाहे पशु-पालन हो, मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो। सौर ऊर्जा की तरफ जाने का प्रयास हो। सोलर पंप की बात हो। ऐसी नई अनेक चीजें जोड़ी हैं। जिसके कारण आज उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आया है।

2014 में हमारे आने से पहले कृषि मंत्रालय का बजट 27 हजार करोड़ रुपये का था। अब ये बढ़कर के 5 गुना.... 27 हजार करोड़ का बढ़कर के 5 गुना और लगभग डेढ़ लाख करोड़ हमने पहुंचाया है। पीएम किसान सम्मान योजना किसानों के खाते में सीधे पैसे जाते हैं। अब तक करीब 45 हजार करोड़ रुपये किसान के खाते में ट्रांसफर हो चुका है। कोई बिचौलिया नहीं है। कोई फाइलों की झड़ंत नहीं। एक क्लिक दबाया पैसे पहुंच गए। लेकिन मैं जरूर यहां मान्य सदस्यों से आग्रह करूंगा कि राजनीति करते रहिए करनी भी चाहिए... मैं जानता हूँ लेकिन क्या हम राजनीति करने के लिए किसानों के हितों के साथ खिलावाड़ करेंगे। मैं उन मान्य सदस्यों से इस विषय का आग्रह करूंगा कि अपने राज्य में देखें जो किसानों के नाम पर बढ़चढ़ के बोल रहे हैं... वो जरा ज्यादा देखें कि क्या उनके राज्य के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिले। उसके लिए वो सरकारें किसानों की सूची क्यों नहीं दे रहे हैं ये योजना के साथ क्यों नहीं जुड़ रहा। नुकसान किसका हुआ, किसका नुकसान हुआ, उस राज्य के किसानों का हुआ। मैं चाहूंगा कि यहां कोई ऐसा मान्य सदस्य नहीं होगा। कि जो शायद दबी जबान में जो खुलकर के शायद न बोल पाए, कहीं जगह पर बहुत कुछ होता है। लेकिन उनको पता होगा उसी प्रकार से मैं मान्य सदस्यों से कहूंगा जिन्होंने बहुत कुछ कहा है। उन राज्यों में जरा देखिए आप कि जहां किसानों को वादे कर-कर के बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर-कर के वोट बटोर लिए, शपथ ले लिए, सत्ता सिंहासन पा लिया लेकिन किसानों के वादे पूरे नहीं किए गए। कम से कम यहां बैठे हुए मान्य सदस्य उन राज्यों के भी प्रतिनिधि होंगे तो वो जरूर उन राज्यों को कहे कि किसानों को उनका हक देने में कोताही न बरते।

माननीय अध्यक्ष जी, जब all party meeting हुई थी तब मैंने विस्तार से सबके सामने एक प्रार्थना भी की थी और अपने विचार भी रखे थे। उसके बाद सदन के प्रारंभ में जब मीडिया के लोगों से मैं बात कर रहा था। तब भी मैंने कहा था। कि हम पूरी तरह आर्थिक विषय, देश की आर्थिक परिस्थिति सारे विषयों को हम समर्पित करें। हमारे पास जितनी भी चेतना है, जितना भी सामर्थ्य है, जितना भी बुद्धिप्रतिभा है सबका निचोड़ इस सत्र में दोनों सदनों में हम लेकर के आए हैं क्योंकि जब देश-दुनिया की आज जो

आर्थिक स्थिति है उसका लाभ उठाने के लिए भारत कौन से कदम उठाए, कौन सी दिशा को अपनाए जिससे लाभ हो। मैं चाहूंगा कि ये सत्र अभी भी समय है, ब्रेक के बाद भी जब मिलेंगे तब भी पूरी शक्ति में सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं। हम आर्थिक विषयों पर गहराई से बोले, व्यापकता से बोले, और अच्छे नए सुझावों के साथ बोले। ताकि देश विश्व के अंदर जो अवसर पैदा हुए उसका फायदा उठाने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़े। मैं निमंत्रण करता हूं सबको।

हां मैं मानता हूं कि आर्थिक विषयों पर महत्वपूर्ण बातें हम सबका सामूहिक दायित्व हैं। और इस दायित्व में पुरानी बातों को हम भूल नहीं सकते हैं। क्योंकि आज हम कहां हैं उसका पता तब चलता है कल कहां थे। ये बात सही है लेकिन हमारे माननीय सदस्य ये कहते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये कब होगा, ये कैसे होगा, कब तक करेंगे। तो कुछ लोगों को लगता है कि आप आलोचना करते हैं मैं नहीं मानता हूं कि आप आलोचना करते हैं मुझे खुशी है कि आप मुझे समझ पाए हैं। क्योंकि आपको विश्वास है करेगा तो यही करेगा.... और अब इसलिए मैं आपकी इन बातों को आलोचना नहीं मानता हूं।

मैं मार्गदर्शन मानता हूं, प्रेरणा मानता हूं। और इसलिए मैं इन सारी बातों का स्वागत करता हूं। और स्वीकार करने का प्रयास भी करता हूं। और इसलिए इस प्रकार की जितनी बातें बताई गई हैं। इसके लिए तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, ये अच्छी बातें हैं। देश के लिए हम सोचते हैं। लेकिन पुरानी बातों के बिना आज की बात को समझना थोड़ा कठिन होता है। अब हम जानते हैं कि हमारा पहले क्या कालखंड था। corruption आए दिन चर्चा होती थी हर अखबार की headline सदन में भी corruption पर ही लड़ाई चलती थी। तब भी यही बोला जाता था। Unprofessional banking कौन भूल सकता है। कमजोर Infrastructure policy कौन भूल सकता है। ये सारी स्थितियों में से बाहर निकलने के लिए हमने समस्याओं के समाधान खोजने की long term goal के साथ निश्चित दिशा पकड़ करके, निश्चित लक्ष्य पकड़ करके उसको पूरा करने का हमने लगातार प्रयास किया है। और मुझे विश्वास है कि इसी का परिणाम है कि आज इकोनॉमी में fiscal deficit बनी है, महंगाई नियंत्रित रही है। और Macro Economy Stability भी बनी रही है।

मैं आपका आभारी हूं क्योंकि आपने मेरे प्रति विश्वास जताया है। ये भी काम हम ही करेंगे। हां एक काम नहीं करेंगे .... एक काम नहीं करेंगे..... न होने देंगे। वो है आपकी बेरोजगारी नहीं हटने देंगे।

जीएसटी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, कॉरपोरेट टैक्स कम करने की बात हो, IBC लाने की बात हो, FDI regime को liberalize करने की बात हो, बैंकों में recapitalization करने की बात हो, जो भी समय-समय पर आवश्यकता रही है। और जो भी दीर्घकालीन मजबूती के लिए जरूरत है। सारे कदम हमारी सरकार उठा रही है। उठाएगी और उसके लाभ भी आना शुरू हुए हैं। और वो रिफॉर्मस जिसकी चर्चा हमेशा हुई है। आपके यहां भी जो पंडित लोग थे वो यही कहते रहते थे। लेकिन कर नहीं पाते थे। अर्थशास्त्री भी जिन बातों की बातें करते थे आज एक के बाद एक उसको लागू करने का काम हमारी सरकार कर रही है। Investors का भरोसा बढ़े, आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले उसको लेकर के भी हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं।

2019 जनवरी से 2020 के बीच 6 बार जीएसटी Revenue एक लाख करोड़ से ज्यादा रहा है। अगर मैं FDI की बात करूं तो 2018 अप्रैल से सितंबर FDI 22 बिलियन डॉलर था। आज उसी अवधि में ये FDI 26 बिलियन डॉलर पार कर गया है। इस बात का सबक है कि विदेशी निवेशकों का भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था पर विश्वास बढ़ा है। और भारत में आर्थिक क्षेत्र में अपार अवसर हैं। ये conviction बना है। तब जाकर के लोग आते हैं। और गलत अफवाहें फैलाने के बावजूद भी लोग बाहर निकल करके आ रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है।



हमारा विजन Greater Investment, better Infrastructure Increased Value Addition और ज्यादा से ज्यादा Job creation पर है।

देखिए मैं किसानों से बहुत कुछ सीखता हूँ। किसान जो होता है न वो बड़ी गर्मी में खेत जोतकर के पैर रखता है। बीज बोता नहीं उस समय। सही समय पर बीज बोता है और अभी जो पिछले 10 मिनट से चल रहा है न वो मेरा खेत जोतने का काम चल रहा है। अब बराबर आपके दिमाग में जगह हो गई है। अब मैं एक-एक करके बीज डालूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, इन योजनाओं ने देश में स्वरोजगार को बहुत बड़ी ताकत दी है। इतना ही नहीं। इस देश में करोड़ों-करोड़ों लोग जो पहली बार मुद्रा योजना से लेकर के खुद तो रोजी-रोटी कमाने लगे। लेकिन किसी और एक को, दो को, तीन को रोजगार देने में सफल हुए। इतना ही नहीं पहली बार बैंको से जिनको धन मिला है मुद्रा योजना के अंतर्गत उसमें से 70 प्रतिशत हमारी माताएं-बहने हैं। जो इकोनॉमी एक्टिव के क्षेत्र में नहीं थीं। ये आज कहीं न कहीं इकोनॉमी बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। 28 हजार से ज्यादा start-up recognize हुए हैं। और ये आज खुशी की बात है कि टीयर-2, 3 सीटी में हैं। यानी हमारे देश का युवा नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। मुद्रा योजना के तहत 22 करोड़ से ज्यादा ऋण स्वीकृत हुए हैं और करोड़ों युवाओं ने रोजगार पाया है।

World Bank के data on entrepreneurs उसमें भारत का दुनिया के अंदर तीसरा स्थान है। सितंबर 2017 से नवंबर 2019 की बीच ईपीएफओ पेट्रोल डाटा में एक करोड़ 49 लाख नए subscriber आए। ये बिना रोजगार के पैसे जमा नहीं करता है ये.... मैंने एक कांग्रेस के नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये.... ये बात सही कि काम बड़ा कठिन है। तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं। तो 6 महीने का तो अच्छा है। लेकिन मैं 6 महीने तय किया हूँ कि रोज सुबह सुरज नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा। ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूँ। और अपने आपको गाली-पूफ बना दिया है। 6 महीने ऐसे सुरज नमस्कार करूंगा ऐसे सुरज नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने ताकत वाला बना दे। तो मैं आभारी हूँ कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है। कि मुझे ये 6 महीने exercise बढ़ाने का टाइम मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, इंडस्ट्री 4.0 और डिजिटल इकोनॉमी ये करोड़ों नई जॉब्स के लिए अवसर लेकर के आती है। Skill development, नई स्किल्ड वर्क फोर्स को तैयार करना, लेबर रिफार्म सांसद के अंदर already एक प्रस्ताव तो आगे बढ़ाया है। और भी कुछ प्रस्ताव हैं। मुझे विश्वास है कि ये सदन उसका भी बल देगा। ताकि देश में रोजगार के अवसरों में कोई रुकावट न आए। हम पिछली सदी की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमने बदली हुई वैश्विक परिस्थिति में नई सोच के साथ इन सारे बदलावों के लिए आगे आना होगा। और सदन के सभी मान्य सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ labour reform का काम उसको जितना जल्दी आगे बढ़ाएंगे। रोजगार के नए अवसरों के लिए सुविधा मिलेगी। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि 5 ट्रिलियन डॉलर इंडियन इकोनॉमी ease of doing business, ease of living.....

माननीय अध्यक्ष जी, ये बात सही है कि हमने आने वाले दिनों में 16 करोड़ का इन्फ्रास्ट्रक्चर का मिशन लेकर के आगे चल रहे हैं। लेकिन पिछले कार्यकाल में भी आपने देखा होगा कि देश की इकोनॉमी को ताकत देने के लिए मजबूती देने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा महत्व होता है। और जितना बल ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर की गतिविधियों को देते हैं वो इकोनॉमी को drive करता है, रोजगार को भी देता है। नए-नए उद्योगों को भी अवसर देता है। और इसलिए हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर के पूरे काम में एक नई गति आए। लेकिन पहले वर्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही होता था सीमेंट कंक्रीट की बात। पहले

इन्फ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही होता था टेंडर की प्रक्रियाएं। पहले वर्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही होता था बिचौलिए। यही इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात आती थी तो लोगों को यही लगता था कि कुछ बू आती थी।

आज हमने transparency के साथ 21वीं सदी आधुनिक भारत बनाने के लिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं उस पर बल दिया है। और हमारे लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं सिर्फ एक सीमेंट कंक्रीट का खेल नहीं है ये। मैं मानता हूं इन्फ्रास्ट्रक्चर एक भविष्य लेकर के आता है। करगील से कन्या कुमारी और कच्छ से कोहिमा इसको अगर जोड़ने का काम करने की ताकत होती तो इन्फ्रास्ट्रक्चर में होती है। aspiration or achievement को जोड़ने का काम इन्फ्रास्ट्रक्चर करता है।

लोगों और उनके सपनों को उड़ान देने की ताकत अगर कहीं पर है तो इन्फ्रास्ट्रक्चर में होती है। लोगों की creativity को consumers से जोड़ने का काम इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण ही संभव हो सकता है। एक बच्चे को स्कूल से जोड़ने का काम छोटा ही क्यों न हो इन्फ्रास्ट्रक्चर करता है। एक किसान को बाजार से जोड़ने का काम इन्फ्रास्ट्रक्चर करता है। एक व्यवसायी को उसके consumer के साथ जोड़ने का काम इन्फ्रास्ट्रक्चर करता है। लोगों को लोगों से जोड़ने का काम भी इन्फ्रास्ट्रक्चर करता है। एक गरीब प्रेगनेट मां को भी अस्पताल से जोड़ने का काम इन्फ्रास्ट्रक्चर करता है। और इसलिए Irrigation से लेकर Industry तक सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर तक, रोड्स से लेकर पोर्ट तक और airways से लेकर waterways तक हमने अनेक ऐसे initiative लिए। गत 5 वर्ष में देश ने देखा है। और लोगों ने जब देखा है तभी तो यहां बिठाया है जी, यही तो इन्फ्रास्ट्रक्चर है जो यहां पहुंचाता है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं... कि हमारे यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कैसे काम होता है। हमारे यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कैसे काम होता था, ये सिर्फ हमारा दिल्ली का ही विचार ले लीजिए ये दिल्ली में traffic, environment, or हजारों ट्रक दिल्ली के बीच से गुजर रहे हैं। 2009 में यूपीए सरकार का संकल्प था कि 2009 तक ये दिल्ली के surrounding जो expressway है इसको 2009 तक पूरा करने का यूपीए सरकार का संकल्प था। 2014 में हम आए। तब तक कागज पर ही वो लकीरें बनकर वो पड़ा हुआ था। और 2014 के बाद मिशन मोड में हमने काम लिया और आज पैरिफेरल एक्सप्रेसवे का काम हो गया। 40 हजार से ज्यादा ट्रक जो आज यहां दिल्ली में नहीं आती सीधी बाहर से जाती हैं और दिल्ली को प्रदूषण से बचाने में एक अहम कदम ये भी है। लेकिन इन्फ्रास्ट्रक्चर का महत्व क्या होता है। 2009 तक पूरा करने का सपना 2014 तक कागज की लकीर बनकरके पड़ा रहा। ये अंतर है। उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ और विषयों को मैं जरा स्पष्ट करना चाहता हूं। शशि थरूर जी, गुस्ताखी होगी लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ लोगों ने जरा बार-बार यहां पर संविधान बचाने की बातें की हैं। और मैं भी मानता हूं। कि संविधान बचाने की बात कांग्रेस को दिन में 100 बार बोलनी चाहिए। कांग्रेस के लिए मंत्र होना चाहिए। 100 बार संविधान बचाओ, संविधान बचाओ ये जरूरी है... क्योंकि संविधान के साथ कब क्या हुआ अगर संविधान का महात्म्य समझते तो संविधान के साथ ये न हुआ होता। और इसलिए जितनी बार आप संविधान बोलेगे हो सकता है कुछ चीजें आपको आपकी गलतियों का अहसास करवा दें। आपके उन इरादों को अहसास करवा देगी और आपको सच में संविधान इस देश में महामूल्य है इसकी ताकत का अनुभव कराएगी।

माननीय अध्यक्ष जी, यही मौका है इमरजेंसी संविधान बचाने का काम आपको याद नहीं आया था। आपातकाल यही लोग हैं जो संविधान बचाने के लिए उनको बार-बार बोलने की जरूरत है। क्योंकि न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीना इनको तो संविधान बार-बार बोलना ही पड़ेगा।

जिन लोगों ने लोगों से जीने का कानून छीनने की बात कही थी। उन लोगों को संविधान बार-बार बोलना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। जो लोग सबसे ज्यादा बार संविधान के अंदर बदलाव करने का प्रस्ताव लाया है उन लोगों को संविधान बचाने की बात बोले बिना कोई चारा नहीं है। दर्जनों बार राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया है। लोगों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया है। उनके लिए संविधान बचाना ये बोल-बोल कर उन संसदों को जीने की आवश्यकता है।

कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। लोकतंत्र और संविधान से बनी हुई कैबिनेट उसने एक प्रस्ताव पारित किया है। उस प्रस्ताव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ देना उन लोगों के लिए संविधान बचाने की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। और इसलिए उन लोगों को बार-बार संविधान बचाओं का मंत्र बोलना बहुत जरूरी है।

पीएम और पीएमओ के ऊपर National Advisory council.... remote control से सरकार चलाने का तरीका करने वालों को संविधान का महात्म्य का समझना बहुत जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान की वकालत के नाम पर दिल्ली और देश में क्या-क्या हो रहा है। वो देश भली-भांति देख रहा है। समझ भी रहा है और देश की चुप्पी भी कभी न कभी तो रंग लाएगी।

सर्वोच्च अदालत वो संविधान के प्रति सीधा-सीधा एक महत्वपूर्ण अंग है। देश की सर्वोच्च अदालत बार बार कह रही है कि आंदोलन ऐसे न हो जो सामान्य मानवी को तकलीफ दे, आंदोलन ऐसे न हो, जो हिंसा के रास्ते पर चल पड़े।

संविधान बचाने की बात वाला समय ... लेकिन यही वामपंथी लोग, यही कांग्रेस के लोग, यही वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग वहां जा-जाकर उकसा रहे हैं। भड़काऊ बातें कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, एक शायर ने कहा था- खूब पर्दा है, कि चिलमन से लगे बैठे हैं। खूब पर्दा है, कि चिलमन से लगे बैठे हैं साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं! पब्लिक सब जानती है, सब समझती है।

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दिनों जो भाषाएं बोली गईं, जिस प्रकार के वक्तव्य दिए गए हैं वो इसका जिक्र आज सदन के बड़े-बड़े नेता भी वहां पहुंच जाते हैं इसका बहुत बड़ा अफसोस है। पश्चिम बंगाल के पीड़ित लोग यहां बैठे हैं, अगर वे वहां क्या चल रहा है इसका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे ना तो दादा आपको तकलीफ होगी। निर्दोष लोगों को किस प्रकार से मौत के घाट उतार दिया जाता है वो भली-भांति जानते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के समय में संविधान की क्या स्थिति थी, लोगों के अधिकार की स्थिति क्या थी; ये मैं जरा इनको पूछना चाहता हूं। अगर संविधान इतना महत्वपूर्ण है, जो हम मानते हैं; अगर आप मानते होते तो जम्मू-कश्मीर में हिन्दुस्तान का संविधान लागू करने से आपको किसने रोका था? इसी संविधान के दिए अधिकारों से जम्मू-कश्मीर के मेरे भाइयों-बहनों को वंचित रखने का पाप किसने किया था? और शशी जी आप तो जम्मू-कश्मीर के दामाद रहे हैं, अरे उन बेटियों की चिंता करते, आप संविधान की बात करते हो और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, एक माननीय सांसद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने अपनी identity खोई है, किसी ने कहा, किसी की नजर में तो जम्मू-कश्मीर का मतलब जमीन ही था।

माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर में जिनको सिर्फ जमीन दिखती है न उनको इस देश का कुछ अंदाज है और वो उनकी बौद्धिक दरिद्रता का परिचय करवाता है। कश्मीर भारत का मुकुट-मणि है।



माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर की identity बम-बंदूक व अलगाववाद बना दी गई थी। 19 जनवरी, 1990, जो लोग identity की बात करते हैं; 19 जनवरी, 1990, वो काली रात, उसी दिन कुछ लोगों ने कश्मीर की identity को दफना दिया था। कश्मीर की identity सूफी परंपरा है, कश्मीर की identity सर्वपंत समभाव की है। कश्मीर के प्रतिनिधि मां लालदेड़, नंदऋषि, सैय्यद बुलबुल शाह, मीर सैय्यद अली हमदानी, ये कश्मीर की identity हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग कहते हैं आर्टिकल 370 हटाने के बाद आग लग जाएगी, कैसे भविष्यवक्ता हैं ये। आग लग जाएगी, 370 हटाने के बाद। और आज जो लोग बोलते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कुछ नेता जेल में हैं। जरा मैं इस सदन...ये संविधान की रक्षा करने वाला सदन है, ये संविधान को समर्पित सदन है, ये संविधान का गौरव करने वाला सदन है, ये संविधान के प्रति दायित्व निभाने वाले सदस्यों से भरा हुआ सदन है....। मैं सभी माननीय सदस्यों की आत्मा को आज छूने की कोशिश करना चाहता हूँ, अगर हैं तो।

माननीय अध्यक्ष जी, महबूबा मुफ्ती जी ने 5 अगस्त को क्या कहा था- महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था, और संविधान को समर्पित लोग जरा ध्यान से सुनें, महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था, भारत ने...ये शब्द बड़े गंभीर हैं, उन्होंने कहा था-भारत ने कश्मीर के साथ धोखा किया है। हमने जिस देश के साथ रहने का फैसला किया था, उसने हमें धोखा दिया है। ऐसा लगता है कि हमने 1947 में गलत चुनाव कर लिया था। क्या ये संविधान को मानने वाले लोग इस प्रकार की भाषा को स्वीकार कर सकते हैं क्या? उनकी वकालत करते हो? उनका अनुमोदन करते हो? उसी प्रकार से श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था, उन्होंने कहा था- आर्टिकल 370 का हटाना ऐसा भूकंप लाएगा कि कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष जी, फारुख अब्दुल्ला जी ने कहा था- 370 का हटाया जाना कश्मीर के लोगों की आजादी का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर 370 हटाई गई तो भारत का झंडा फहराने वाला कश्मीर में कोई नहीं बचेगा। क्या इस भाषा से, इस भावना से क्या हिन्दुस्तान के संविधान को समर्पित कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार कर सकता है, क्या इससे सहमत हो सकता है? मैं ये बात उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी आत्मा है।

माननीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिनको कश्मीर की आवाम पर भरोसा नहीं है और इसलिए ऐसी भाषा बोलते हैं। हम वो हैं जिनको कश्मीर की आवाम पर भरोसा है। हमने भरोसा किया, हमने कश्मीर की आवाम पर भरोसा किया और आर्टिकल 370 को हटाया। और आज तेज गति से विकास भी कर रहे हैं। और इस देश के किसी भी क्षेत्र के हालात बिगाड़ने की मंजूरी नहीं दी जा सकती चाहे वो कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ-ईस्ट हो, चाहे केरल हो, कोई भी इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारे मंत्री भी पिछले दिनों लगातार जम्मू-कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। जनता के साथ संवाद करके वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन से जम्मू-कश्मीर के उज्ज्वल भविष्य के लिए, जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू-कश्मीर के लोगों की आशा-अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम संविधान को समर्पित लोग सबके सब प्रतिबद्ध हैं। लेकिन साथ-साथ मैं लद्दाख के विषय में भी कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में सिक्किम एक ऐसा प्रदेश है जिसने अपने-आपको एक आर्गेनिक स्टेट के रूप में उसने अपनी पहचान बनाई है। और एक प्रकार से देश के कई राज्यों को सिक्किम जैसे छोटे राज्य ने प्रेरणा दी है। सिक्किम के किसान, सिक्किम के नागरिक इसके लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। लद्दाख- मैं मानता हूँ लद्दाख के विषय में मेरे मन में बहुत चित्र साफ है। और इसलिए हम चाहते हैं कि लद्दाख जिस प्रकार से हमारे पड़ोस में भूटान की भूरि-भूरि प्रशंसा होती है environment को लेकर,

carbon neutral country के रूप में दुनिया में उसकी पहचान बनी है। हम देशवासी संकल्प करते हैं और हम सबको संकल्प करना चाहिए कि हम लद्दाख को भी एक carbon neutral इकाई के रूप में develop करेंगे। देश के लिए एक पहचान बनाएंगे। और उसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को एक मॉडल के रूप में मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं जब लद्दाख जाऊंगा, इनको उनके साथ रह करके मैं इसका एक डिजाइन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर जो एक कानून सदन ने पारित किया, जो संशोधन दोनों सदनों में पारित हुआ, जो notify हो गया, उसके संबंध में भी कुछ न कुछ कोशिशें हो रही हैं CAA लाने की। कुछ लोग कह रहे हैं CAA लाने की इतनी जल्दी क्या थी? कुछ माननीय सदस्यों ने ये कहा कि ये सरकार भेदभाव कर रही है, ये सरकार हिन्दू और मुस्लिम कर रही है। कुछ ने कहा कि हम देश के टुकड़े करना चाहते हैं, बहुत कुछ कहा गया और यहां से बाहर बहुत कुछ बोला जाता है। काल्पनिक भय पैदा करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी गई है। और वो लोग बोल रहे हैं जो देश के टुकड़े-टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े हो करके जो लोग फोटो खिंचवाते हैं। दशकों से पाकिस्तान यही भाषा बोलता आया है, पाकिस्तान यही बातें कर रहा है।

भारत के मुसलमानों को भड़काने के लिए पाकिस्तान ने कोई कसर छोड़ी नहीं। भारत के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान ने हर खेल खेले हैं, हर रंग दिखाए हैं। और अब उनकी बात चलती नहीं है, पाकिस्तान की बात बढ़ नहीं पा रही है। तब, जब मैं हैरान हूँ कि जिनको हिन्दुस्तान की जनता ने सत्ता के सिंहासन से घर भेज दिया, वो आज उस काम को कर रहे हैं जो कभी ये देश सोच भी नहीं सकता था। हमें याद दिलाया जा रहा है कि ;,;इंडिया का नारा देने वाले, जयहिंद का नारा देने वाले हमारे मुस्लिम ही थे। दिक्कत यही है कि कांग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे। हमारे लिए, हमारी नजर में वो भारतीय हैं, हिन्दुस्तानी हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान हो..

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य रहा है कि लड़कपन में खान अब्दुल गफ्फार खान जी के चरण छूने का मुझे अवसर मिला था। मैं इसे अपना गर्व मानता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, खान अब्दुल गफ्फार खान हो, अशफाक-उल्ला खां हों बेगम हजरत महल हों, वीर शहीद अब्दुल करीम हों या पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम हों, सबके सब हमारी नजर से भारतीय हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने जिस दिन भारत को भारत की नजर से देखना शुरू किया, उसे अपनी गलती का एहसास होगा, होगा, होगा। सर, मैं कांग्रेस का और उनके ecosystem का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने Citizenship amendment act को ले करके हो-हल्ला मचाए रखा हुआ है। अगर ये विरोध नहीं करते, ये इतना हो-हल्ला नहीं करते तो शायद उनका असली रूप देश को पता ही नहीं चलता। ये देश ने देख लिया है कि दल के लिए कौन है और देश के लिए कौन है। और मैं चाहता हूँ, 'जब चर्चा निकल पड़ी है तो बात दूर तक चली जाएगी'।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा किसी की भी हो सकती है और उसमें कुछ बुरा भी नहीं है। लेकिन किसी को प्रधानमंत्री बनना था इसलिए हिन्दुस्तान के ऊपर एक लकीर खींची गई और देश का बंटवारा कर दिया गया। बंटवारे के बाद जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, जोर-जबरदस्ती हुई उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। मैं कांग्रेस के साथियों से जरा पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी भूपेन्द्र कुमार दत्त का नाम सुना है? कांग्रेस के लिए जानना बहुत जरूरी है और जो यहां नहीं हैं उनको भी जानना जरूरी है।

भूपेन्द्र कुमार दत्त एक समय में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में थे, उसके सदस्य थे। स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान 23 साल उन्होंने जेल में बिताए थे। वो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने न्याय के लिए 78 दिन जेल के अंदर भुख-हड़ताल की थी और ये भी उनके नाम एक रिकॉर्ड है। विभाजन के बाद भूपेन्द्र कुमार दत्त पाकिस्तान में ही रुक गए थे। वहां की संविधान सभा के वो सदस्य भी थे। जब संविधान का काम चल ही रहा था, अभी तो संविधान का काम चल ही रहा था, शुरुआत ही हुई थी और उस समय भूपेन्द्र कुमार दत्त ने उसी संविधान सभा में जो कहा था, उसे आज मैं दोहराना चाहता हूं। क्योंकि जो लोग हम पर आरोप मढ़ रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है।

भूपेन्द्र कुमार दत्त ने कहा था- So far as this side of Pakistan is concerned, the minorities are practically liquidated. Those of us who are here to live represent near a crore of people still left in East Bengal, live under a total sense of frustration. ये भूपेन्द्र कुमार दत्त ने बंटवारे के तुरंत बाद वहां की संविधान सभा में ये शब्द व्यक्त किया था। ये हालत थी, स्वतंत्रता के शुरुआत के दिनों से ही अल्पसंख्यकों की, वहां के अल्पसंख्यकों की। इसके बाद पाकिस्तान में स्थिति इतनी खराब हो गई कि भूपेन्द्र दत्त को भारत आ करके शरण लेनी पड़ी और बाद में उनका निधन भी ये मां भारती की गोद में हुआ।

माननीय अध्यक्ष जी, तबके पाकिस्तान में एक और बड़े स्वतंत्र सेनानी रुक गए थे, जोगेन्द्र नाथ मंडल। वे समाज के बहुत ही पीड़ित, शोषित, कुचले हुए समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री भी बनाया गया था। 9 अक्टूबर, 1950- अभी आजादी के और बंटवारे के दो-तीन साल हुए थे। 9 अक्टूबर, 1950 को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के एक पैराग्राफ, इस्तीफे में जो लिखा था उसको मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा था- I must say that the policy of driving out Hindus from Pakistan has succeeded completely in West Pakistan and is nearing completion in East Pakistan.

उन्होंने आगे कहा था- Pakistan has not given the Muslim League entire satisfaction and a full sense of security. They now want to get rid of the Hindu intelligentsia so that the political economic and social life of Pakistan may not in anyway influenced by them. ये मंडल जी ने अपने इस्तीफे में लिखा था। इन्हें भी आखिरकार भारत ही आना पड़ा और उनका निधन भी मां भारती की गोद में हुआ। इतने दशकों के बाद भी पाकिस्तान की सोच नहीं बदली। वहां आज भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी-अभी ननकाना साहब के साथ क्या हुआ- वो सारे देश और दुनिया ने देखा है। और ये ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हिंदू और सिखों के साथ होता है, और भी minority के साथ ऐसा ही जुल्म वहां होता है। इसाइयों को भी ऐसी ही पीड़ा झेलनी पड़ती है।

सदन के मैं चर्चा के दरम्यान गांधी जी के कथन को ले करके भी बात कही गई। कहा गया कि सीएन पर सरकार जो कह रही है, वो गांधीजी की भावना नहीं थी।

खैर, कांग्रेस जैसे दलों ने तो गांधी जी की बातों को दशकों पहले छोड़ दिया था। आपने तो गांधीजी को छोड़ दिया है और इसलिए मैं और न देश आपसे कोई अपेक्षा करता है, लेकिन जिसके आधार पर कांग्रेस की रोजी-रोटी चल रही है, मैं आज उनकी बात करना चाहता हूं।

1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान में रहने वाले minorities की सुरक्षा को ले करके ये समझौता हुआ। समझौते का आधार पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होगा। पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, उसमें जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जिसकी बात हम बोल रहे हैं, उसके संबंध में नेहरू और लियाकत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। अब कांग्रेस को जवाब देना होगा, नेहरू जैसे इतने बड़े secular, नेहरू जैसे इतने बड़े महान विचारक, इतने बड़े

visionary और आपके लिए सब कुछ। उन्होंने उस समय वहां की minority के बजाय 'सारे नागरिक' ऐसा शब्द प्रयोग क्यों नहीं किया। अगर इतने ही महान थे, इतने ही उदार थे तो क्यों नहीं किया भाई, कोई तो कारण होगा। लेकिन इस सत्य को आप कब तक झुठलाओगे।

भाइयो और बहनों, माननीय अध्यक्ष जी और माननीय सदस्यगण, ये उस समय की बात है, ये मैं उस समय की बात बता रहा हूं। नेहरू जी समझौते में पाकिस्तान की minority, इस बात पर कैसे मान गए, जरूर कुछ न कुछ वजह होगी। जो बात हम बता रहे हैं आज, वही बात उस समय नेहरूजी ने बताई थी।

माननीय अध्यक्ष जी, नेहरूजी ने minority शब्द क्यों प्रयोग किया, ये आप बोलेंगे नहीं क्योंकि आपको तकलीफ है। लेकिन नेहरूजी खुद इसका जवाब देकर गए हैं। नेहरूजी ने नेहरू-लियाकत समझौता साइन होने के एक साल पहले असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान गोपीनाथ जी को एक पत्र लिखा था। और गोपीनाथजी को पत्र में जो लिखा था, उसे मैं कोट करना चाहता हूं।

नेहरूजी ने लिखा था- आपको हिंदू शरणार्थियों और मुस्लिम immigrants, इसके बीच फर्क करना ही होगा। और देश को इन शरणार्थियों की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। उस समय असम के मुख्यमंत्री को उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरूजी की लिखी हुई चिट्ठी है। नेहरू-लियाकत समझौते के बाद कुछ महीनों के भीतर ही नेहरूजी का इसी संसद के फ्लोर पर 5 नवंबर, 1950, नेहरूजी ने कहा था- इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो प्रभावित लोग भारत में settle होने के लिए आए हैं, ये नागरिकता मिलने के हकदार हैं और अगर इसके लिए कानून अनुकूल नहीं है तो कानून में बदलाव किया जाना चाहिए।

1963 में लोकसभा में, इसी सदन में और इसी जगह से, 1963 में Call attention motion हुआ। उस समय प्रधानमंत्री नेहरू तत्कालीन विदेश मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। Motion का जवाब देने के लिए विदेश राज्यमंत्री श्रीमान दिनेशजी जब बोल रहे थे तो आखिर में प्रधानमंत्री नेहरूजी ने बीच में उन्हें टोकते हुए कहा था- और उन्होंने जो कहा था, मैं कोट करता हूं- पूर्वी पाकिस्तान में वहां की अर्थारिटी हिंदुओं पर जबरदस्त दबाव बना रही है, ये पंडित जी का वक्तव्य है। पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, गांधीजी नहीं, नेहरूजी की भावना भी रही थी। इतने सारे दस्तावेज हैं, चिट्ठियां हैं, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, सभी इसी तरह के कानून की वकालत करते रहे हैं।

मैंने इस सदन में तथ्यों के आधार पर, अब मैं कांग्रेस से खास रूप से पूछना चाहता हूं और उनके ecosystem भी ये मेरे सवाल समझेगी। जो ये सारी बातें मैंने बताई, क्या पंडित नेहरू communal थे? मैं जरा जानना चाहता हूं। क्या पंडित नेहरू हिंदू-मुस्लिम में भेद किया करते थे? क्या पंडित नेहरू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे?

माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की दिक्कत ये है वो बातें बनाती है, झूठे वादे करती है और दशकों तक वो वादों को टालती रहती है। आज हमारी सरकार अपने राष्ट्र निर्माताओं की भावनाओं पर चलते हुए फैसले ले रही है तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ नागरिकों को, बड़ी जिम्मेदारी के साथ संविधान की मर्यादाओं को समझते हुए ये कहना चाहता हूं, संविधान के प्रति समर्पण भाव से कहना चाहता हूं, देश के 130 करोड़ नागरिकों से कहना चाहता हूं- सीएए, इस एक्ट से हिन्दुस्तान के किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इसाई हो, किसी पर नहीं होने वाला। इससे भारत की minority को कोई नुकसान होने वाला नहीं। फिर भी जिन लोगों को देश की जनता ने नकार दिया है, वो लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये खेल खेल रहे हैं।

और मैं जरा पूछना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस के लोगों से विशेष रूप से पूछना चाहता हूँ, जो minority के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते रहते हैं, क्या कांग्रेस को 84 के दिल्ली के दंगे याद हैं, क्या minority के साथ, क्या वो minority नहीं थी? क्या आप उन लोगों के हमारे सिख भाइयों के गले में टायर बांध-बांध करके उन्हें जला दिया था। इतना ही नहीं, सिख दंगों के आरोपियों को जेल में तक भेजने का काम ने आपने किया ही नहीं। इतना ही नहीं, आज जिन पर आरोप लगे हुए हैं, सिख दंगों को भड़काने के जिन पर आरोप लगे हैं, उनको आज मुख्यमंत्री बना देते हो। सिख दंगों के आरोपियों को सजा दिलाने में उन हमारी विधवा माताओं को तीन-तीन दशक तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ा। क्या वो minority नहीं थी? क्या minority के लिए दो-दो तराजू होंगे? क्या यही आपके तरीके होंगे?

माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी जिसने इतने सालों तक देश पर राज किया, आज वो देश का दुर्भाग्य है कि जिसके पास एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में देश की अपेक्षाएं थीं, वो आज गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। ये रास्ता आपको भी मुसीबत पैदा करने वाला है, देश को भी संकट में डालने वाला है। और ये चेतावनी मैं इसलिए दे रहा हूँ, हम सबको देश की चिंता होनी चाहिए, देश के उज्ज्वल भविष्य की चिंता होनी चाहिए।

आप सोचिए, अगर राजस्थान की विधानसभा कोई निर्णय करे, कोई व्यवस्था खड़ी करे और राजस्थान में वो कोई मानने को तैयार न हो, जलसे-जुलूस निकालें, हिंसा करें, आगजनी लगाएं, आपकी सरकार है-क्या स्थिति बनेगी? मध्यप्रदेश- आप वहां बैठे हैं। मध्यप्रदेश की विधानसभा कोई निर्णय करे और वहां की जनता उसके खिलाफ इसी प्रकार से निकल पड़े, क्या देश ऐसे चल सकता है क्या?

आपने इतना गलत किया है इसीलिए तो वहां बैठना पड़ा है। ये आपके ही कारनामों का परिणाम है कि जनता ने आपको वहां बिठाया है। और इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से देश में हरेक को अपनी बात बताने का हक है। लेकिन झूठ और अफवाहें फैला करके, लोगों को गुमराह करके हम कोई देश का भला नहीं कर पाएंगे।

और इसलिए मैं आज संविधान की बातें करने वालों को विशेष रूप से आग्रह करता हूँ, आइए- संविधान का सम्मान करें।

आइए- मिल-बैठ करके देश चलाएं,

आइए- देश को आगे ले जाएं। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए एक संकल्प ले करके हम चलें।

आइए- देश के 15 करोड़ परिवार, जिनको पीने का शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, वो पहुंचाने का संकल्प करें।

आइए- देश के हर गरीब को पक्का घर लेने के काम को हम मिल करके आगे बढ़ें ताकि उनको पक्का घर मिले।

आइए- देश के किसान हों, मछुआरे हों, पशुपालक हों, उनकी आय बढ़ाने के लिए हम कामों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं।

आइए- हर पंचायत को Broadband connectivity दें।

आइए- एक भारत-श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प ले करके हम आगे बढ़ें।

माननीय अध्यक्ष जी, भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए हम मिल-बैठ करके आगे चलें, इसी एक भावना के साथ मैं माननीय राष्ट्रपति जी को अनेक-अनेक धन्यवाद करते हुए, मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपका भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ।



\*\*\*

वी.आर.आर.के./वंदना जाटव/कंचन पटियाल/नवनीत/ममता/निर्मल शर्मा

(रिलीज़ आईडी: 1602887) आगंतुक पटल : 234

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Assamese , English , Urdu , Marathi , Bengali , Punjabi , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu ,  
Kannada

प्रधानमंत्री कार्यालय

# राज्य सभा में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 06 FEB 2020 8:00PM by PIB Delhi

माननीय सभापति जी, माननीय राष्ट्रपति जी की संयुक्त सदन को जो सीख मिली है, उनका जो अभिभाषण हुआ है, वो 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को reflect करता है। मैं इस सदन में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर समर्थन देने के लिए आपके बीच प्रस्तुत हूँ।

45 से ज्यादा माननीय सदस्यों ने इस अभिभाषण पर अपने विचार रखे हैं। ये वरिष्ठजनों का गृह है, अनुभवी महापुरुषों का गृह है। चर्चा को समृद्ध करने का हर किसी का प्रयास रहा है। श्रीमान गुलाम नबी जी, श्रीमान आनंद शर्मा, भूपेन्द्र यादव जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधाकर शेखर जी, रामचंद्र प्रसाद जी, रामगोपाल जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी, संजय राउत जी, स्वप्नदास जी, प्रसन्ना आचार्य, ए. नवनीत जी, ऐसे सभी अनेक अपने माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं।

जब मैं इन सारे आपके भाषणों की जानकारियाँ ले रहा था, कई बातें नई-नई उभर करके आई हैं। ये सदन इस बात के लिए गर्व कर सकता है कि एक प्रकार से पिछला सदन सत्र हमारा बहुत ही productive रहा और सभी माननीय सदस्यों के सहयोग के कारण ये संभव हुआ। और इसके लिए सदन के सभी मान्य सदस्य अभिनंदन के अधिकारी हैं।

लेकिन ये अनुभवी और वरिष्ठ महानुभावों का सदन है, इसलिए स्वाभाविक देश की भी बहुत अपेक्षाएं थीं, ट्रेजरी बेंच पर बैठे हुए लोगों की बहुत अपेक्षाएं थीं और मेरी स्वयं की तो बहुत ही अपेक्षाएं थीं कि आपके प्रयास से बहुत अच्छी बातें देश के काम के लिए मिलेंगी, अच्छा मार्गदर्शन मुझ जैसे नए लोगों को मिलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो नए दशक में मेरी अपेक्षा थी, उसमें से मुझे निराशा मिली है।

ऐसा लग रहा है कि आप जहां ठहर गए हैं वहां से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते, वहीं रुके हुए हैं। और कभी-कभी तो लगता है कि पीछे चले जा रहे हैं। अच्छा होता हताशा-निराशा का वातावरण बनाए बिना, नई उमंग, नए विचार, नई ऊर्जा, इसके साथ आप सबसे देश को दिशा मिलती, सरकार को मार्गदर्शन मिलता। लेकिन शायद ठहराव को ही आपने अपना virtue बना दिया है। और इसमें मुझे काका हाथरसी का एक व्यंग्य काव्य याद आता है।

बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कहा था-

प्रकृति बदलती क्षण-क्षण देखो,  
बदल रहे अणु, कण-कण देखो  
तुम निष्क्रिय से पड़े हुए हो  
भाग्यवाद पर अड़े हुए हो।

छोड़ो मित्र ! पुरानी डफली,  
जीवन में परिवर्तन लाओ  
परंपरा से ऊंचे उठकर,  
कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ।

माननीय सभापति जी, चर्चा का प्रारंभ करते हुए जब गुलाम नबी जी बात बता रहे थे, कुछ आक्रोश भी था, सरकार को कई बातों से कोसने का प्रयास भी था, लेकिन वो बहुत स्वाभाविक विषय है। लेकिन जब उन्होंने कुछ बातें ऐसी कहीं जो बेमेल थीं। अब जैसे उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का फैसला सदन में बिना चर्चा के हुआ। देश ने टीवी पर पूरे दिनभर चर्चा देखी है, सुनी है। ये ठीक है कि 2 बजे तक कुछ लोग वैन में थे लेकिन बाहर से जब खबरें आने लगीं तो सब समझ गए कि भई अब जरा वापस जाना ही अच्छा है। देश ने देखा है, व्यापक चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय किए गए हैं और सदन ने निर्णय किया है। सम्माननीय सदस्यों ने अपने वोट दे करके निर्णय किया है।

लेकिन जब ये बात हम सुनाते हैं तो ये भी याद रखें, और आजाद साहब मैं आपकी यादाश्त को जरा ताजा कराना चाहता हूं। पुराने कारनामों इतना जल्दी लोग भूलते नहीं हैं। जब तेलंगाना बना तब इस सदन का हाल क्या था। दरवाजे बंद कर दिए गए थे, टीवी का टेलिकास्ट बंद कर दिया गया था। चर्चा को तो कोई स्थान ही नहीं बचा था और जिस हालत में वो पारित किया गया था वो कोई भूल नहीं सकता है। और इसलिए हमें आप नसीहत दें आप वरिष्ठ हैं, लेकिन फिर भी सत्य को भी स्वीकार करना होगा।

दशकों के बाद आपको एक नया राज्य बनाने का अवसर मिला था। उमंग, उत्साह के साथ सबको साथ ले करके आप कर सकते थे। अभी आनंद जी कह रहे थे राज्यों को पूछा, फलाने को पूछा, ढिकने को पूछा, बहुत कुछ कह रहे थे। अरे कम से कम आंध्र-तेलंगाना वालों को तो पूछ लेते कि उनकी क्या इच्छा थी। लेकिन आपने जो किया वो इतिहास है और उस समय, उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में एक बात कही थी और मैं समझता हूं कि उसको हमें आज याद करना चाहिए।

उन्होंने कहा था- Democracy in India is being harmed as a result of the ongoing protest over the Telangana issue. अटल जी की सरकार ने उत्तराखंड बनाया, झारखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, पूरे सम्मान के साथ, शांति के साथ, सद्भाव के साथ। और आज ये तीनों नए राज्य अपने-अपने तरीके से देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को ले करके जो भी फैसले लिए गए पूरी चर्चा के साथ और लंबी चर्चा के बाद हुआ है।

यहां पर जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए। कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं। मुझे भी लगता है कि इस सदन के सामने मुझे भी वो ब्योरा देना चाहिए।

20 जून, 2018- वहां की सरकार जाने के बाद नई व्यवस्था बनी। गर्वनर रूल लगा था, उसके बाद राष्ट्रपति शासन आया और 370 हटाने का भी निर्णय हुआ। और उसके बाद मैं कहना चाहूंगा पहली बार वहां के गरीब सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ मिला।

जम्मू-कश्मीर में पहली बार पहाड़ी भाषी लोगों को आरक्षण का लाभ मिला।

जम्मू-कश्मीर में पहली बार महिलाओं को ये अधिकार मिला कि वे अगर राज्य के बाहर विवाह करती हैं तो उनकी संपत्ति छीनी नहीं जाएगी।

पहली बार स्वतंत्रता के बाद वहां Block development council के इलेक्शन हुए।

पहली बार जम्मू-कश्मीर में RERA का कानून लागू हुआ।

पहली बार जम्मू-कश्मीर में Startup policy, Trade and Export policy, Logistic policy बनी भी और लागू भी हो गई।

पहली बार, और ये तो देश को आश्चर्य होगा, पहली बार जम्मू-कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो की स्थापना हुई।

पहली बार जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों को सीमा पार से हो रही फंडिंग पर नियंत्रण आया।

पहली बार जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों के सत्कार समागम की परम्परा समाप्त हो गई।

पहली बार जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ वहां जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल मिल करके निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं।

पहली बार जम्मू-कश्मीर के पुलिसकर्मियों को उन भत्तों का लाभ मिला है जो अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को दशकों से मिलते रहे हैं।

पहली बार अब जम्मू-कश्मीर के पुलिसकर्मी एलटीसी लेकर कन्याकुमारी, नॉर्थ-ईस्ट या अंडेमान-निकोबार घूमने जा सकते हैं।

आदरणीय सभापति जी, गवर्नर रूल के बाद 18 महीनों में वहां 4400 से अधिक सरपंचों और 35 हजार से ज्यादा पंचों के लिए शांतिपूर्ण चुनाव हुआ।

18 महीनों में जम्मू-कश्मीर में 2.5 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ,

18 महीनों में जम्मू-कश्मीर में 3 लाख 30 हजार घरों में बिजली का कनेक्शन दिया गया।

18 महीनों में जम्मू-कश्मीर में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना के गोल्ड कार्ड दिए जा चुके हैं।

सिर्फ 18 महीनों में जम्मू-कश्मीर में वहां डेढ़ लाख बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को पेंशन योजना से जोड़ा गया है। आजाद साहब ने ये भी कहा कि विकास तो पहले भी होता था। हमने कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन विकास कैसे होता था मैं जरूर एक उदाहरण देना चाहूंगा।

पीएम आवास योजना के तहत मार्च 2018 तक सिर्फ 3.5 हजार मकान बने थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साढ़े तीन हजार। 2 साल से भी कम समय में इसी योजना के तहत 24 हजार से ज्यादा मकान बने हैं।

अब connectivity सुधारने, स्कूलों की स्थिति सुधारने, अस्पतालों को आधुनिक बनाने, सिंचाई की स्थिति ठीक करने, टूरिज्म बढ़ाने के लिए पीएम पैकेज समेत अन्य कई योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

आदरणीय वाइको जी, उनकी एक स्टाइल है, बहुत इमोशनल रहते हैं हमेशा। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 जम्मू-कश्मीर के लिए ब्लैक डे है। वाइको जी, ये ब्लैक डे नहीं है, ये आतंक और अलगाव को बढ़ावा देने वालों के लिए ब्लैक डे सिद्ध हो चुका है। वहां के लाखों परिवारों के लिए एक नया विश्वास, एक नई आशा की किरण आज नजर आ रही है।

आदरणीय सभापति जी, यहां पर नॉर्थ-ईस्ट की भी चर्चा हुई है। आजाद साहब कह रहे हैं कि नॉर्थ-ईस्ट जल रहा है। अगर जलता होता तो सबसे पहले आपने अपने एमपीओ का डेलीगेशन वहां भेजा ही होता और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जरूर की होती, फोटो भी निकलवाई होती। और इसलिए मुझे लगता है कि आजाद साहब की जानकारी 2014 के पहले की है। और इसलिए मैं अपडेट करना चाहूंगा कि नॉर्थ-ईस्ट अभूतपूर्व शांति के साथ आज भारत की विकास यात्रा का एक अग्रिम भागीदार बना है। 40-40, 50-50 साल से नॉर्थ-ईस्ट में जो हिंसक आंदोलन चलते थे, blockade चलते थे और हर कोई जानता है कि कितनी बड़ी चिंता का विषय था। लेकिन आज ये आंदोलन समाप्त हुए हैं, blockade बंद हुए हैं और शांति की राहत पर पूरा नॉर्थ-ईस्ट आगे बढ़ रहा है।

मैं एक बात का जरूर जिक्र करना चाहूंगा- करीब-करीब 30-25 साल से ब्रू जनजाति की समस्या, आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं। करीब 30 हजार लोग अनिश्चितता की जिंदगी जी रहे थे। इतने छोटे से कमरे में, वो भी एक छोटा सा Hut बनाया हुआ temporary. जिसमें 100-100 लोगों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। तीन-तीन दशक से ऐसा चल रहा था, यातनाएं कम नहीं हैं। और गुनाह कुछ नहीं था उनका। अब मजा देखिए, नॉर्थ-ईस्ट में बहुत-एक आपके ही दल की सरकारें थीं। अब त्रिपुरा में आपके साथी दल की सरकार थी, आपके मित्र थे, प्रिय मित्र। आपने चाहा होता तो मिजोरम सरकार आपके पास थी, त्रिपुरा में आपके मित्र बैठे थे, केन्द्र में आप बैठे थे। अगर आप चाहते तो ब्रू जनजाति की समस्या का सुखद समाधान ला सकते थे। लेकिन आज, इतने सालों के बाद उस समस्या का समाधान और स्थाई समाधान करने में हम सफल हुए हैं।

मैं कभी सोचता हूँ कि इतनी बड़ी समस्या पर इतनी उदासीनता क्यों थी? लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा है कि उदासीनता का कारण ये था कि ब्रू जाति के जो लोग अपने घर से, गांव से बिछड़ गए थे, उनको बर्बाद कर दिया गया था, उनका दर्द तो असीमित था, लेकिन वोट बहुत सीमित था। और ये वोट का ही खेल था जिसके कारण उनके असीमित दर्द को हम कभी अनुभव नहीं कर पाए और उनकी समस्या का हम समाधान नहीं कर पाए। ये हमारा पुराना इतिहास है, हम न भूलें।

हमारी सोच अलग है, हम सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास इस मंत्र को ले करके पूरी जिम्मेदारी और संवेदना के साथ, जो भी हमसे बन सके, हम समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं। और हम उनकी तकलीफ को समझते हैं। आज बड़ा गर्व कर सकता है देश कि 29 हजार लोगों को अपना घर मिलेगा, अपनी एक पहचान बनेगी, अपनी एक जगह मिलेगी। वो अपने सपने बुन पाएंगे, अपने बच्चों के भविष्य को वो तय कर पाएंगे। और इसलिए ब्रू जनजाति के प्रति, और ये पूरा नॉर्थ-ईस्ट की समस्याओं के समाधान के रास्ते हैं।

मैं बोडो के संबंध में विस्तार से कहना नहीं चाहता, लेकिन वह भी अपने-आप में एक बहुत-बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। और उसकी विशेषता है सभी हथियारी ग्रुप, सभी हिंसा के रास्ते पर गए हुए ग्रुप एक साथ आए थे। और सबने एग्रीमेंट में लिखा है कि इसके बाद बोडो आंदोलन की सभी मांगें समाप्त होती हैं, कोई बाकी नहीं है, ये एग्रीमेंट में लिखा है।

श्रीमान सुखेंदु शेखर जी सहित अनेक साथियों ने यहां आर्थिक विषयों पर चर्चा की है। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तब भी मैंने सबसे आग्रह से कहा था, ये सत्र पूरा का पूरा हमें आर्थिक विषयों की चर्चा के लिए समर्पित करना चाहिए। गहन चर्चा होनी चाहिए। सारे पक्ष उजागर हो करके आने चाहिए। और जो भी टेलेंट हम लोगों के सबसे पास है, यहां हो, वहां हो कोई अलग बात है। लेकिन हम मिल करके ऐसी नई चीजें बताएं, ऐसी नई चीजें खोजें, नए रास्ते डेवलप करें और आज जो वैश्विक आर्थिक परिस्थिति है, उसका अधिकतम लाभ भारत कैसे ले सकता है, भारत अपनी जड़ें कैसे मजबूत कर सकता है, भारत कैसे अपने आर्थिक हितों का विस्तार बढ़ा सकता है, उस पर हम गहन चर्चा करें, ये मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में सबके सामने रिकवेस्ट की थी। और मैं चाहूंगा इस सत्र को पूरी तरह देश के आर्थिक विषयों पर हमें समर्पित करना चाहिए।

बजट पर चर्चा होनी है, उसको और विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे और अमृत ही निकलेगा। हो जाए कुछ छींटाकशी हो जाएगी, तू-तू-मैं-मैं हो जाएगी, कुछ आरोप-प्रत्यारोप हो जाएंगे, फिर भी मैं समझता हूँ उस मंथन से अमृत ही निकलेगा और इसलिए मैं फिर से निमंत्रित करता हूँ सबको कि अर्थव्यवस्था पर, आर्थिक स्थिति पर, आर्थिक नीतियों पर, आर्थिक परिस्थितियों पर और डॉक्टर मनमोहन जी जैसे अनुभवी महानुभाव हमारे बीच में हैं, जरूर देश को लाभ मिलेगा। और हमें करना चाहिए, हमारा मन इसके विषय में खुला है।

लेकिन यहां जो अर्थव्यवस्था के संबंध में चर्चा हुई है, देश को निराश होने का कोई कारण नहीं है। और निराशा फैलाकर कुछ पाने वाले भी नहीं हैं। आज भी देश के अर्थव्यवस्था के जो बेसिक सिद्धांत हैं, मानदंड हैं, उन सारे मानकों में आज भी देश की अर्थव्यवस्था सशक्त है, मजबूत है और आगे जाने की पूरी ताकत रखती है। Inherent ये क्वालिटी उसके अंदर है।

और कोई भी देश छोटी सोच से आगे नहीं बढ़ सकता जी। अब देश की युवा पीढ़ी हमसे अपेक्षा करती है कि हम बड़ा सोचें, दूर का सोचें, ज्यादा सोचें और ज्यादा ताकत से आगे बढ़ें। इसी मूल मंत्र को ले करके 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को ले करके हम देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे। निराश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले ही दिन हम कह दें, नहीं-नहीं ये तो संभव ही नहीं है। अरे भई जो संभव नहीं है तो फिर क्या संभव है वही करना है क्या। हर बार हमने इतना ही करना है, कोई दो कदम चलता है वहीं चलना चाहिए क्या। अरे कभी तो पांच कदम के लिए हिम्मत करें, कभी तो सात कदम के लिए हिम्मत करें, कभी तो मेरे साथ आइए।



ये निराशा देश का भला कभी नहीं करती, और इसलिए 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात करने का सुखद परिणाम यह हुआ है कि जो विरोध करते हैं, उन्हें भी 5 ट्रिलियन डॉलर की बात करनी पड़ती है। हर किसी को आधार 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना पड़ रहा है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ। वरना हम ऐसे ही मामले में खेलते रहते थे। अब दुनिया के सामने खेलने का एक कैनवास तो खड़ा कर दिया है। मानसिकता तो बदली है हमने: और इसलिए और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए गांव और शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, MSME हो, टेक्स्टाइल का क्षेत्र हो, जहां रोजगार की संभावना है।

हमने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले, स्टार्टअप को बढ़ावा मिले। टूरिज्म एक बहुत बड़ा अवसर है। हमें जितना पिछले 70 साल में टूरिज्म को, भारत को जिस प्रकार से हमें branded करना चाहिए था, किसी न किसी कारण से हम वो मिस कर गए हैं। आज भी अवसर है और आज भारत को भारत की नजर से टूरिज्म को डेवलप करना चाहिए, पश्चिमी नजर से भारत के टूरिज्म को हम डेवलप नहीं कर सकते। दुनिया भारत को देखने आने चाहिए। वरना उसको हंसी-खुली की दुनिया देखनी है तो दुनिया में बहुत दिखाते हैं, वो वहां चले जाते हैं।

मेक इन इंडिया पर हमने बल दिया है, उसके सुफल नजर आ रहे हैं। विदेशी निवेश के आंकड़े आप देखते होंगे।

टैक्स स्ट्रक्चर को ले करके सारे प्रोसेस को सरल करने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है। और दुनिया में भी ease of doing business ranking की बात हो या भारत में ease of living का विषय हो, हमने एक साथ दोनों को... बैंकिंग सेक्टर में मुझे बराबर याद है जब मैं गुजरात में था तो कई बड़े विद्वान जो एक आर्टिकल लिखते थे, वो कहते थे हमारे देश में बैंकों का merger करना चाहिए। और अगर ये हो जाए तो बहुत बड़ा रिफार्म माना जाएगा ये। ऐसा हमने कई बार पढ़ा है। ये सरकार है जिसने कई बैंकों का merger कर दिया, आसानी से कर दिया। और आज ताकतवर बैंकों का सेक्टर तैयार हो गया जो आने वाले देश की financial रीढ़ को मजबूती देगा, गति देगा।

आज मैनुफैक्चरिंग के सेक्टर में एक नया दृष्टिकोण भी देखना होगा कि जो बैंकों में पैसे फंसे क्या कारण था। मैंने पिछली सरकार के समय पर विस्तार से कहा था और मैं बार-बार किसी को भी नीचा दिखाने के लिए प्रयास नहीं करता हूं। देश के सामने जो सत्य रखना चाहिए, रख करके मैं आगे बढ़ने में ही अपना लगाता हूं। ऐसी चीजों में अपना समय व्यर्थ में गंवाता नहीं हूं, वरना कहने के लिए बहुत कुछ है।

एक विषय ऐसी चर्चा आई कि जीएसटी में बार-बार बदलाव आया। इसको अच्छा मानें या बुरा मानें। मैं हैरान हूं, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जीएसटी की रचना। अब राज्यों की भावनाओं का उसमें प्रकटीकरण होता है। कांग्रेसशासित राज्यों की तरफ से भी वहां विषय आते हैं। क्या हम ये कह करके बंद कर दें कि नहीं हमने जो किया वो फाइनल, सारी बुद्धि भगवान ने हमको ही दी है? हम कोई सुधार नहीं होगा, चलो, ऐसा करेंगे क्या? ऐसा हमारा विचार नहीं है, हमारा मत है समयानुकूल परिवर्तन जहां आवश्यक है करना चाहिए। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े विषय हैं। जब राज्यों के बजट आते हैं सेल टैक्स में आपने देखा होगा कि बजट पूरा होते-होते सेल टैक्स हो या अन्य कोई taxes हों, कई चर्चाएं आती हैं और बाद में आखिर में बदलाव भी करने पड़ते हैं राज्यों को। अब वो विषय राज्यों से हट करके एक हो गया है तो जरा ज्यादा लगता है।

देखिए, मैं समझता हूं कि यहां कहा गया है कि जीएसटी बहुत सरल होना चाहिए, ठिकना होना चाहिए था, फलाना होना चाहिए था। मैं जरा पूछना चाहता हूं अगर इतना ही ज्ञान आपके पास था, इतना ही सरल बनाने का क्लीयर विजन था तो इसको लटकाए क्यों रखा था भाई। हां, ये भ्रम मत फैलाइए।

मैं बताता हूं, मैं सुनाता हूं, आज आपको सुनना चाहिए। प्रणब दा जब वित्तमंत्री थे तब गुजरात आए थे, हमारी विस्तार से चर्चा हुई। मैंने उनसे पूछा कि दादा ये technology driven व्यवस्था है इसके विषय में क्या हुआ है। उसके बिना तो चल ही नहीं सकता है। तो दादा ने कहा, ठहरो भाई, तुम्हारा सवाल- उन्होंने अपने सचिव को बुलाया। और उन्होंने कहा, देखो भाई, ये मोदीजी क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखिए भाई ये तो technology driven व्यवस्था है तो टेक्नोलॉजी के बिना तो आगे बढ़ना नहीं है। तो उन्होंने कहा, नहीं, अभी-अभी हमने निर्णय किया है और हम किसी कंपनी को हायर करेंगे और हम करने वाले हैं। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब मुझे जीएसटी का कहने आए

थे, तब भी ये व्यवस्था नहीं थी। दूसरी बात, तब मैंने कहा था कि आपको जीएसटी सफल करने के लिए जब मैनुफैक्चरिंग स्टेट हैं उनकी कठिनाइयों को आपको address करना होगा। तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। By in large they are manufacturing states. जो उपभोग का राज्य है, जो कंज्यूमर स्टेट हैं उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं है। और मैं आज बड़े गर्व से कहता हूँ कि जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे उन्होंने इन बातों को address किया, इसका समाधान किया। उसके बाद जीएसटी में पूरा देश साथ चला है।

और इसलिए मैंने जो मुख्यमंत्री के नाते जो मुद्दे उठाए थे वो प्रधानमंत्री के नाते उन मुद्दों को सुलझाया है। और सुलझा करके जीएसटी का रास्ता प्रशस्त किया है।

इतना ही नहीं, अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो कभी कहते हैं कि भई बार-बार बदलाव क्यों? मैं समझता हूँ कि हमारे महापुरुषों ने इतना बड़ा महान संविधान दिया, उसमें भी उन्होंने सुधार के लिए रखा है। हर व्यवस्था में सुधार का हमेशा स्वागत होना चाहिए और हम देश हित में हर नए और अच्छे सुझावों का स्वागत करने वाले विचारों को ले करके चलते हैं।

आदरणीय सभापति जी, भारत की अर्थव्यवस्था में एक चीज है जो अभी भी बहुत उजागर बहुत कम हुई है, जिसकी तरफ ध्यान जाने की आवश्यकता है। देश में ये जो बड़ा बदलाव आ रहा है उसमें हमारे टीयर-2, टीयर-3 सिटी बहुत तेजी से proactively contribute कर रहे हैं। आप स्पोर्ट्स में देखिए टीयर-2, टीयर-3 सिटी के बच्चे आगे आ रहे हैं। आप शिक्षा में देखिए टीयर-2, टीयर-3 सिटी के बच्चे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। स्टार्टअप देखिए, टीयर-2, टीयर-3 सिटी में सबसे ज्यादा स्टार्टअप आगे बढ़ रहे हैं।

और इसलिए हमारा देश का जो आकांक्षी युवा है, जो तामझाम के बोझ में दबा हुआ नहीं है, वो एक बड़ी नई शक्ति के साथ उभर रहा है और हमने इन छोटे शहर, छोटे कस्बे, उसकी अर्थव्यवस्थाओं में कुछ न कुछ प्रगति आए, उस दिशा में बहुत बारीकी से काम करने की दिशा में प्रयत्न किया है।

हमारे देश में डिजिटल ट्रांजक्शन, इसी सदन में डिजिटल ट्रांजक्शन के जो भाषण हैं, भाषण करने वाले भी अपने भाषण निकाल करके पढ़ेंगे तो उनको आश्चर्य होगा कि मैंने ऐसा बोला था? कुछ लोगों ने तो मोबाइल का मजाक उड़ाया था। उन लोगों ने डिजिटल की बैंकिंग, बिलिंग की व्यवस्था के... यानी मैं हैरान हो गया कि आज छोटे स्थानों पर डिजिटल ट्रांजक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी टीयर-2, टीयर-3 सिटी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे रेलवे, हमारे हाईवे, हमारे एयरपोर्ट, उसकी पूरी श्रृंखला- अब देखिए उड़ान योजना, अभी-अभी परसों 250वां रूट लॉन्च हो गया, two hundred and fifty route within India. कितनी तेजी से हमारी हवाई सफर की व्यवस्था बदल रही है। और आने वाले दिनों में और अधिक।

हमने बीते पांच वर्ष में, हमारे पास ऑपरेशनल 65 एयरपोर्ट थे, आज 100 को हमने पार कर दिया है। 65 ऑपरेशनल में से 100 ऑपरेशनल कर दिए हैं। और ये सारे उस नए-नए क्षेत्रों की ताकत बढ़ाने वाले हैं।

उसी प्रकार से हमने बीते पांच वर्ष में सिर्फ सरकार ही नहीं बदली, हमने सोच भी बदली है हमने काम करने का तरीका भी बदला है। हमने अप्रोच भी बदली है। अब डिजिटल इंडिया की बात करें। broadband connectivity, अब broadband connectivity की बात आए तो पहले काम शुरू तो हुआ, योजना बन, लेकिन उस योजना का तरीका और सोच की इतनी मर्यादा रही कि सिर्फ 59 ग्राम पंचायत तक broadband connectivity पहुंची। आज पांच वर्ष में सवा लाख से अधिक गांवों में broadband connectivity पहुंच गई है। और सिर्फ broadband पहुंचना ही नहीं, पब्लिक स्कूल, गांव और दूसरे दफ्तरों तक और सबसे बड़ी बात कॉमन सर्विस सेंटर, उसको भी चालू किया गया है।

2014 में जब हम आए, तब हमारे देश में 80 हजार कॉमन सर्विस सेंटर थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 3 लाख 65 हजार कॉमन सर्विस सेंटर की है और गांव का नौजवान इसे चला रहा है। और गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो पूरी तरह टेक्नोलॉजी की सेवाएं दे रहा है।

12 लाख से अधिक ग्रामीण युवा अपने ही गांव में रह रहे हैं। शाम को मां-बाप की भी मदद करते हैं, खेत का भी कभी काम लेते हैं। 12 लाख ग्रामीण युवा इस रोजगार के अंदर नए जुड़ गए हैं।

इस देश को गर्व होगा और होना चाहिए। हमने सरकार की आलोचना करने के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन वगैरह की मजाक उड़ाई थी, भीम ऐप इन दिनों विश्व का फाइनेंसर डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए बहुत ही पॉवरफुल प्लेटफॉर्म और secure प्लेटफॉर्म के रूप में उसकी स्वीकृति बढ़ती चली जा रही है और दुनिया के अनेक देश इस विषय में जानकारी पाने के लिए सीधा संपर्क कर रहे हैं। ये देश के लिए गौरव की बात है ये कोई नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया है। हमारे देश के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा का परिणाम है कि आज डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए एक उत्तम से उत्तम प्लेटफॉर्म हमारे पास है।

और इसी जनवरी महीने में, सभापति जी, इसी जनवरी महीने में भीम ऐप से मोबाइल फोन से अपना मनी ट्रांजेक्शन दो लाख 16 हजार करोड़ रुपए हुआ है, एक जनवरी में। यानी हमारा देश कैसे बदलाव को स्वीकार कर रहा है।

रुपे कार्ड- रुपये कार्ड की शुरूआत आप लोगों को पता है। बहुत कम संख्या में, हजारों की संख्या में कुछ रुपये कार्ड थे और कहते हैं कि शायद ये डेबिट कार्ड वगैरह की दुनिया में point 6 पर्सेंट हमारा contribution रहा है, आज करीब 50 पर्सेंट पहुंचा है। और आज रुपये डेबिट कार्ड Internationally भी दुनिया के अनेक देशों में उसकी स्वीकृति बढ़ती चली जा रही है, तो भारत का रुपये कार्ड, वो अपनी एक जगह बना रहा है, और जो हम सबके लिए गर्व का विषय है।

आदरणीय सभापति जी, इस प्रकार इस सरकार का अप्रोच का एक और भी विषय है- जैसे जलजीवन मिशन। हमने मूलभूत समस्याओं के समाधान को 100 पर्सेंट की दिशा में जाने के लिए प्रयास किए-

टॉयलेट – तो 100 पर्सेंट

घर- तो 100 पर्सेंट

बिजली- तो 100 पर्सेंट

गांव में बिजली- तो 100 पर्सेंट

हमने एक-एक चीजों में से देश को कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने के लिए अप्रोच ले करके हम चल रहे हैं।

हमने घरों में शुद्ध पानी पीने का पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अभियान उठाया है और ये मिशन, इसकी विशेषता है कि ये भले केंद्र सरकार का मिशन है, धन केंद्र सरकार खर्च करने वाली है। Driving force केंद्र सरकार होगी, लेकिन actually implement, प्रत्यक्ष जिसको हम कह सकें, federalism की माइक्रो यूनिट, हमारा गांव, गांव की बाँड़ी, वो खुद इसको तय करेगी, वो ही इसकी योजना बनाएगी और उन्हीं के द्वारा घर-घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था होगी और इस योजना को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं।

हमारे कॉंपरेटिव federalism का एक उत्तम उदाहरण- 100 से अधिक aspirational districts. हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति के लिए अगड़ी-पिछड़ी बहुत कुछ किया, लेकिन इस देश के इलाके भी पिछड़े रह गए। उनकी तरफ अगर हमने ध्यान देने की जरूरत थी जिसमें हम काफी लेट हो गए। मैंने पढ़ा कि कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें कई राज्यों के कुछ जिले पूरी तरह पिछड़े हुए हैं। अगर हम उसको भी ठीक कर लें तो देश की एवरेज बहुत बड़ी मात्रा में सुधर जाएगी। और कभी-कभी तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट कि जहां अफसर भी रिटायर्ड होने वाला हो, ऐसे ही रखेगा। यानी ऊर्जावान, तेजस्वी अफसरों को कोई वहां छोड़ता भी नहीं था। उनको लगता था ये तो गया। हमने उसको बदला है। aspirational 100 से अधिक district को identify किया है, अलग-अलग राज्यों के district हैं और राज्यों से भी कहा है कि आप भी अपने यहां 50 ऐसे aspirational block identify कीजिए और स्पेशल फोकस दे करके उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, गवर्नेंस में बदलाव लाइए और उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए।

आज अनुभव आया है कि district level भी, ये aspirational district एक cooperative federalism का implementing agency के रूप में एक बहुत ही सुखद अनुभव के साथ आगे बढ़ रहा है और एक प्रकार से district के अफसरों के बीच जो कम्पीटीशन चलती है ऑनलाइन, हर कोई प्रयास करता है कि वो district टीकाकरण में

आगे निकल गया, मैं भी इस हफ्ते काम करूंगा, मैं टीकाकरण में आगे निकलूंगा। यानी एक प्रकार से लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए एक अच्छा काम वहां हो रहा है।

हमने आयुष्मान भारत में भी- क्योंकि ये district ऐसा है जहां हेल्थ की सेवाएं भी उसी प्रकार की हैं। इस बार हमने priority दी है कि वहां हेल्थ सेक्टर को priority दी जाए ताकि वो क्षेत्र हमारे आगे बढ़ सकें।

आगे आकांक्षी जिले के लोगों में हमारे आदिवासी भाई-बहन हों, हमारे दिव्यांग हों, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उसको काम करने की दिशा में प्रयास कर रही है।

बीते पांच वर्ष से ही देश के तमाम आदिवासी सेनानियों को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। देशभर में आदिवासियों ने देश की आजादी के लिए जो contribution किया है उसको ले करके म्यूजियम बने, रिसर्च संस्थान बने और देश को बनाने-बचाने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका थी, वो एक प्रेरणा का कारण बनेगी, देश को जोड़ने का भी कारण बनेगी, और उसके लिए भी काम हो रहा है।

हमारे आदिवासी बच्चों में कई होनहार बच्चे होते हैं, उनको अवसर नहीं होता है। स्पोर्ट्स हों, एजुकेशन हो, अगर उनको अवसर मिले। हमने एकलव्य स्कूलों के द्वारा वो उत्तम प्रकार के स्कूलों की रचना करके ऐसे होनहार बालकों को अवसर देने की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है।

आदिवासी बच्चों के साथ-साथ करीब 30 हजार सेल्फ-हेल्प ग्रुप इन्हीं क्षेत्रों में और वन-धन- जो जंगलों की पैदावार है, उनके लिए भी एमएसपी, उसको बल दे करके उनको भी हमने आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन चीजों का बहुत शॉर्ट में उल्लेख है। लेकिन हमने देश के इतिहास में पहली बार सैनिक स्कूलों में बेटियों के लिए दाखिले की स्वीकृति दे दी है। मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति का काम भी जारी है।

देश में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से 600 से अधिक वन स्टॉप सेंटर बनाए जा चुके हैं। देश के हर स्कूल में छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।

यौन अपराधियों को पहचान करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया गया है और जिसमें ऐसे लोगों पर नजर रखनी होगी। इसके अतिरिक्त मानव तस्करी के विरुद्ध भी एक यूनिट स्थापित करने की भी हमने योजना बनाई है।

बच्चों पर यौन हिंसा के गंभीर मामलों से निपटने के लिए पोस्को कानून में संशोधन कर इसके तहत आने वाले अपराधों का दायरे को भी हमने और जोड़ा गया है ताकि इन अपराधों को हम सजा के दायरे में ला सकें। ऐसे मामलों में न्याय तेजी से मिले, इसलिए देशभर में एक हजार से ज्यादा फास्ट ट्रेक को कोर्ट बनाए जाएंगे।

आदरणीय सभापति जी, सदन में CAA पर कोई चर्चा हुई है। यहां बार-बार ये बताने की कोशिशें की गई हैं कि अनेक हिस्सों में प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाई गई, जो हिंसा हुई, उसी को आंदोलन का अधिकार मान लिया गया। बार-बार संविधान की दुहाई, उसी के नाम पर un-democratic activity को कवर करने का प्रयास हो रहा है। मुझे कांग्रेस की मजबूरी समझ आती है, लेकिन केरल के left front के हमारे जो मित्र हैं, उनको जरा समझना चाहिए। उनको पता होना चाहिए यहां आने से पहले कि केरल के मुख्यमंत्री- उन्होंने कहा है कि केरल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो Extremist ग्रुपों का हाथ होने की बात उन्होंने विधानसभा में कही है।

यही नहीं, उन्होंने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। जिस अराजकता से आप केरल में परेशान हैं उसका समर्थन आप दिल्ली में या देश के अन्य हिस्सों में कैसे कर सकते हैं।

Citizenship Amendment Act को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है, वो जो प्रचारित किया जा रहा है, उसको लेकर सभी साथियों को खुद से सवाल पूछना चाहिए। क्या देश को misinform करना, misguide करना, इस प्रवृत्ति को हम सबको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? क्या ये हम सबका कर्तव्य है कि नहीं है। क्या हमें ऐसे कैम्पेन का हिस्सा बन जाना चाहिए? अब मान लीजिए किसी का राजनीतिक भला होने वाला नहीं है, मान के चलिए। और इसलिए ये



रास्ता सही नहीं है, मिल-बैठ करके जरा सोचें कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं क्या। और ये कैसा दोहरा चरित्र है, आप 24 घंटे अल्पसंख्यकों की दुहाई देते हैं, बहुत शानदार शब्दों का उपयोग करके कह रहे हैं, आनंद जी को अभी मैं सुन रहा था। लेकिन अतीत की गलतियों के कारण पड़ोस में अल्पसंख्यक जो बन गए, उनके विरुद्ध जो चल रहा है, उसकी पीड़ा आपको क्यों नहीं हो रही है? देश की अपेक्षा है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर लोगों को डराने के बजाय सही जानकारी दी जाए। ये हम सबका दायित्व है। हैरानी की बात ये है विपक्ष के अनेक साथी इन दिनों बहुत उत्साहित हो गए हैं। जो कभी silent थे आजकल violent हैं। सभापति जी का असर है। लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि ये सदन बड़े वरिष्ठ लोगों का है तो कुछ महापुरुषों की बातें में आज जरा आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ।

पहला बयान है-**“This House / is of the opinion that /in view of the insecurity/ of the life, property and honour/ of the minority communities /living in the Eastern Wing of Pakistan /and general denial of /all human rights to them /in that part of Pakistan/, the Government of India should /in addition to relaxing restrictions /in migration of people /belonging to the minority communities/ from East Pakistan to Indian Union /also consider steps for/ enlisting the world opinion.”**

ये सदन में कही गई बात है। अब आपको लगेगा ये कोई जनसंघ के नेता ही बोल सकते हैं, ये तो कौन बोल सकता है ऐसी बातें। उस समय तो भाजपा था नहीं जनसंघ था। तो उन्होंने सोचा होगा जनसंघ वाला बोल सकता है। लेकिन ये वक्तव्य किसी बीजेपी या जनसंघ के नेता का नहीं है।

उसी महापुरुष का एक दूसरा वाक्य मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा है- “जहाँ तक ईस्ट पाकिस्तान का ताल्लुक है, उसका यह फैसला मालूम होता है की वहाँ से नॉन मुस्लिम जितने हैं सब निकाल दिए जाये। वह एक इस्लामिक स्टेट है। एक इस्लामिक स्टेट के नाते वो यह सोचता है की यहाँ इस्लाम को मानने वाले ही रह सकते हैं और गैर इस्लामी लोग नहीं रह सकते हैं। लिहाजा, हिन्दू निकाले जा रहे हैं, ईसाई निकाले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ की करीब 37 हज़ार से ऊपर क्रिश्चियन्स आज वहाँ से हिंदुस्तान में आ गए हैं। बुद्धिस्ट भी वहाँ से निकले जा रहे हैं।“

ये भी किसी जनसंघ का या भाजपा के नेता का वाक्य नहीं है। और सदन को मैं बताना चाहूँगा ये शब्द उस महापुरुष के हैं जो देश के प्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक रहे हैं, वो श्री ब्रह्म लाल बहादुर शास्त्री जी के वाक्य हैं। अब आप उनको भी communal कह देंगे। आप उनको भी हिन्दू और मुस्लिम के डिवाइडर कह देंगे।

ये बयान लाल बहादुर शास्त्री जी ने संसद में 3 अप्रैल, 1964 को दिया था। नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तब धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भारत आ रहे शरणार्थियों पर संसद में चर्चा हो रही थी। उसी दरम्यान शास्त्री जी ने ये बात कही थी।

आदरणीय सभापति जी, अब मैं आदरणीय सदन को एक और बयान के बारे में बताता हूँ। और ये खास करके मेरे समाजवादी मित्रों को विशेष रूप से समर्पित कर रहा हूँ। क्योंकि शायद यही हैं जहाँ से प्रेरणा मिल सकती है। जरा ध्यान से सुनें।

**“हिंदुस्तान का मुसलमान जिए और पाकिस्तान का हिन्दू जिए। मैं इस बात को बिल्कुल ठुकरता हूँ कि पाकिस्तान के हिन्दू पाकिस्तान के नागरिक हैं इसलिए हमें उन की परवाह नहीं करनी है। पाकिस्तान का हिन्दू चाहे कहाँ का नागरिक हो, लेकिन उसकी रक्षा करना हमारा उतना ही कर्त्तव्य है जितना हिंदुस्तान के हिन्दू या मुसलमान का। “**

ये किसने कहा था। ये भी किसी जनसंघ, भाजपा वाले का नहीं है। ये श्रीमान राममनोहर लोहिया जी की बात है। हमारे समाजवादी साथी, हमें मानें या न मानें, लेकिन कम से कम लोहिया जी आप नकारने का काम न करें, यही मेरा उनसे आग्रह है।

आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन में शास्त्री जी का एक और बयान पढ़ना चाहता हूँ। ये बयान उन्होंने शरणार्थियों पर राज्य सरकारों की भूमिका के बारे में दिया था। आज वोट बैंक की राजनीति के कारण राज्यों के अंदर विधानसभाओं में प्रस्ताव करके जिस प्रकार का खेल खेला जा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी के इस भाषण को सुन



लीजिए आप। आपको पता चलेगा कि आप कहां जा रहे थे, कहां थे, क्या हो गया है आप लोगों का।

सभापति जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था-

“हमारी तमाम स्टेट गवर्मेंट्स ने इसको (refugee settling) राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में माना है। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और ऐसे करते हुए हमें बड़ी खुशी होती है। क्या बिहार और क्या उड़ीसा, क्या मध्यप्रदेश और क्या उत्तरप्रदेश, या महाराष्ट्र या आंध्र, सभी सूबों ने, सभी प्रदेशों ने भारत सरकार को लिखा है की वे इनको अपने यहाँ बसाने के लिए तैयार हैं। किसी ने कहा है पचास हज़ार आदमी, किसी ने कहा है पंद्रह हज़ार फॅमिलीज, किसी ने कहा दस हज़ार फॅमिलीज बसाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं।”

शास्त्री जी का ये बयान तब का है जब 1964 में देश में ज्यादातर कांग्रेस की ही सरकारें हुआ करती थीं। आज मगर ये हम अच्छा काम ही कर रहे हैं, और आप रोड़े अटका रहे हैं क्योंकि आपकी वोट बैंक की राजनीति है।

आदरणीय सभापति जी, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ-25 नवंबर, 1947 को, देश आजाद होने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था। 25 नवंबर, 1947, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव क्या कहता है-

“Congress is /further bound to /afford full protection to/all those non-Muslims /from Pakistan /who have crossed the border /and come over to India /or may do so /to save their life /and honour.”

ये **non-Muslims** के लिए अगर आप आज जो भाषा बोल रहे हैं।

आदरणीय सभापति जी, मैं नहीं मानता हूँ कि 25 नवंबर, 1947 को कांग्रेस communal थी, मैं नहीं मानता हूँ। और आज अचानक secular हो गई, ऐसा भी मैं नहीं मानता हूँ। 25 नवंबर, 1947 आपने **non-Muslims** लिखने के बजाय आप लिख सकते थे कि पाकिस्तान से आने वाले सब लोगों को, क्यों नहीं लिखा ऐसा। क्यों **non-Muslims** लिखा?

बंटवारे के बाद जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे, उनमें से अधिकतर हमारे दलित भाई-बहन थे। और इन लोगों को बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था-

“I would like to tell /the Scheduled Castes /who happen today to be/ impounded inside Pakistan /to come over to India....”

ये बाबा साहेब आंबेडकर ने भी यही संदेश दिया था। ये सारे बयान जिन महान हस्तियों के हैं, वो इस देश के राष्ट्र निर्माता हैं। क्या वो सभी communal थे? कांग्रेस और उसके साथी देश के राष्ट्र निर्माताओं को भी वोट बैंक की राजनीति के कारण भूलने लगे हैं, ये देश के लिए चिंता का विषय है।

आदरणीय सभापति जी, 1997 में यहां अनेक साथी उपस्थित होंगे। हो सकता है कि सदन में भी कोई हो। ये वो साल था जब से तत्कालीन सरकार के निर्देशों में हिंदू और सिक्खों का इस्तेमाल शुरू हुआ। पहले नहीं होता था, जोड़ा गया है इसको। 2011 में इसमें पाकिस्तान से आने वाले क्रिस्चियन और बुद्धिस्ट शब्दों की कैटेगरी को भी बनाया गया। ये सब 2011 में हुआ है।

साल 2003 में लोकसभा में Citizenship amendment Bill प्रस्तुत किया गया। Citizenship amendment Bill 2003 पर जिस Standing Committee of Parliament ने चर्चा की और फिर उसे आगे बढ़ाया, उस कमेटी में कांग्रेस के अनेक सदस्य आज भी यहां हैं, जो उस कमेटी में थे और Standing Committee of Parliament की इसी रिपोर्ट में कहा गया “पड़ोसी देशों द्वारा आ रहे अल्पसंख्यकों को दो हिस्सों में देखा जाए, एक जो religious persecution की वजह से आते हैं और दूसरा- वो अवैध migrants जो civil disturbance की वजह से आते हैं।” इस कमेटी की रिपोर्ट है। आज जब ये सरकार यही बात कर रही है तो इस पर 17 साल बाद हंगामा क्यों हो क्यों हो रहा है।

28 फरवरी, सभापति जी, 28 फरवरी 2004 को केंद्र सरकार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री की प्रार्थना पर राजस्थान के दो जिलों और गुजरात के 4 जिलों के कलेक्टरों को ये अधिकार दिया गया कि वो पाकिस्तान से आए minority Hindu Community के लोगों को भारतीय नागरिकता दे सकें। ये नियम 2005 और 2006 में भी लागू रहा। 2005 और 06 में आप ही थे। तब वो संविधान की मूल भावना को कोई खतरा नहीं हुआ था, उसके विरुद्ध नहीं था।

आज से 10 साल पहले तक ठीक थीं, था, जिस पर कोई शोर नहीं होता था, आज अचानक आपकी दुनिया बदल गई है। पराजय, पराजय आपको इतना परेशान करता होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था।

आदरणीय सभापति जी, एनपीआर की भी काफी चर्चा हो रही है। जनगणना और NPR सामान्य प्रशासनिक गतिविधियां हैं जो देश में पहले भी होती आई हैं। लेकिन जब वोट बैंक पॉलिटिक्स की ऐसी मजबूरी हो तो खुद एनपीआर को 2010 में लाने वाले लोग आज लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं।

आदरणीय सभापति जी, अगर आप सेंसेज भी देखेंगे तो देश आजाद होने के बाद पहले दशक में कुछ सवाल होंगे, दूसरे दशक में कुछ सवाल निकाल दिए होंगे, कुछ जोड़े होंगे। जैसी-जैसी आवश्यकता रहती है, हर चीज में ये गवर्नेंस के विषय होते हैं, छोटे-मोटे बदलाव होते रहते हैं। हम अफवाहें फैलाने का काम न करें। हमारे देश में पहले मातृभाषा का इतना बड़ा संकट कभी नहीं था। आज सूरत के अंदर उड़ीसा से माइग्रेट हो करके बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और गुजरात सरकार ये कहे कि हम उड़िया स्कूल नहीं चलाएंगे, तो कब तक चलेगा। मैं मानता हूं कि सरकार के पास जानकारी होनी चाहिए कि कौन, कौन सी मातृभाषा बोलता है, उसके पिताजी कौन सी भाषा बोलते थे, तब जा करके सूरत में उड़िया स्कूलों को चालू किया जा सकता है। पहले माइग्रेशन नहीं होता था, आज जब माइग्रेशन होता है तब ये आवश्यक होता है।

आदरणीय सभापति जी, पहले हमारे देश में माइग्रेशन बहुत कम मात्रा में होता था। समय रहते-रहते शहरों के प्रति लगाव बढ़ना, शहरों का विकास होना, लोगों के aspiration बदलना, तो पिछले 30-40 साल में हम लगातार देख रहे हैं कि माइग्रेशन नजर आता है। अब ये माइग्रेशन का मैं भी, आज जब तक किन जिलों से ज्यादा माइग्रेशन होता है, कौन जिला छोड़कर जा रहे हैं, इसकी जानकारी के बिना उस जिले के development को आप प्राथमिकता नहीं दे सकते।

आपके लिए आवश्यक है कि आपने और ये सारे..और दूसरा इतनी अफवाहें फैला रहे हो, लोगों का गुमराह कर रहे हो, आपने तो 2010 में एनपीआर लाए। हम 2014 से यहां बैठे हैं, क्या इसी एनपीआर को ले करके किसी के लिए सवालिया निशान हमने खड़ा किया क्या, रिकॉर्ड तो हमारे पास है। आपके एनपीआर का रिकॉर्ड हमारे पास है। आपके समय का एनपीआर रिकॉर्ड है। इस देश के किसी भी नागरिक को उस एनपीआर के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया गया।

इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, यूपीए के तत्कालीन गृहमंत्री ने NPR के शुभारंभ के समय हर सामान्य निवासी, Usual resident के NPR में एनरोलमेंट की आवश्यकता पर विशेष बल देते हुये कहा था कि हर किसी को इस प्रयास का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने बाकायदा मीडिया से भी अपील की थी कि मीडिया एनपीआर का प्रचार करे। लोगों को शिक्षित करे, लोग एनपीआर से जुड़ें। तो उस समय के गृहमंत्री ने सार्वजनिक अपील की थी।

यूपीए ने 2010 में NPR लागू करवाया, 2011 में NPR के लिए biometric डेटा भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। आप जब 2014 में सरकार से गए, उस समय तक NPR के तहत करोड़ों नागरिकों की फोटो स्कैन कर रिकॉर्ड में टेन करने का काम पूरा कर लिया गया था, और biometric डेटा कलेक्शन का काम प्रगति पर था। ये आपके कार्यकाल की मैं बात बता रहा हूं।

आज जब हमने अपने आपके द्वारा तैयार उन NPR रिकॉर्ड्स को 2015 में अपडेट किया। और इन NPR रिकॉर्ड्स के माध्यम से प्रधानमंत्री जनधन योजना, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सरकार की तमाम योजनाओं में जो छूट गये लाभार्थी थे, उनको शामिल करने के लिए आपके द्वारा तैयार किया गया एनपीआर के रिकॉर्ड का साकारात्मक उपयोग हमने किया है और गरीबों को लाभ पहुंचाया है।

लेकिन आज सियासी माहौल बनाकर आप NPR का विरोध कर रहे हैं, और करोड़ों गरीबों को सरकार की इन जनकल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा बनने से रोकने का हम पाप रहे हैं। अपने तुच्छ सियासी नैरेटिव के लिए जो भी ये कर रहे हैं, उनकी गरीब विरोधी मानसिकता प्रकट हो रही है।

2020 की जनगणना के साथ साथ हम NPR रेकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहते हैं, ताकि गरीबों के लिए चल रही ये योजनाएँ और ज्यादा प्रभावी तरीके से और ईमानदारी से उन तक पहुँच सकें। लेकिन क्योंकि अब आप विपक्ष में हैं, तो आपके ही द्वारा शुरू किया गया NPR आपको ही बुरा दिखाई देने लगा है।

सभी राज्यों ने, आदरणीय सभापति जी, सभी राज्यों ने NPR को बाकायदा गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर अप्रूव किया है। अब कुछ राज्यों ने अचानक से यूटर्न ले लिया है और इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं, और जानबूझकर इस के महत्व और गरीबों के लिए इसके फायदों की अनदेखी कर रहे हैं। जिन कामों को आपने 70 सालों में नहीं किया, उन्हें विपक्ष में बैठकर इस प्रकार की बातें करके हमें शोभा नहीं देता है।

लेकिन जिस काम को बाकायदा आप लाये, आगे बढ़ाया, मीडिया में प्रचार करवाया, अब उसे ही अछूत बताकर उसका विरोध करने में जुट गए हो! ये इस बात का सबूत है कि आपके नैरेटिव्स केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से तय होते हैं। अगर तुष्टीकरण का सवाल हो तो विकास और विभाजन में से आप डंके की चोट पर विभाजन का रास्ता पकड़ते हैं।

ऐसे अवसरवादी विरोध से किसी भी दल को लाभ या हानि तो हो सकता है, लेकिन इस से देश को हानि निश्चित रूप से होती है। देश में अविश्वास की स्थिति बनती है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम सच को, सही स्थिति को ही जनता के बीच ले जाएं।

इस दशक में दुनिया की भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं और भारतीयों को हम से बहुत अपेक्षाएं हैं। इन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए हम सभी के प्रयास 130 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए।

ये तभी संभव है जब राष्ट्रहित के सभी मामलों में ये सदन **संगच्छध्वम्, संवदध्वम्** सानी साथ चलो, एक सुर में आगे बढ़ो, इस संकल्प से चलते हैं। Debates हों, discussions हों और फिर decisions हों।

श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने यहां एक कविता सुनाई, तो मुझे भी एक कविता याद आ गई।

**I have No House, Only Open Spaces**

**Filled with Truth Kindness, Desire and Dreams**

**Desire to see my country Developed and Great,**

**Dreams to see Happiness and peace around!!**

मुझे भारत के महान सपूत, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम की ये पंक्तियां अच्छी लगीं, मुझे ये अच्छा लगा और आपको आपकी पसंद की पंक्तियां अच्छी लगीं। वो कहावत भी आपने खूब सुनी होगी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब तय आपको करना है, कि अपनी पसंद बदलें या फिर 21वीं सदी में 20वीं सदी का nostalgia लेकर जीते रहें।

ये नया भारत आगे बढ़ चला है। ये कर्तव्य पथ पर बढ़ चला है और कर्तव्य में ही सारे अधिकारों का सार है, यही तो महात्मा गांधीजी का संदेश है।

आइए, हम गांधीजी के बताए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए, एक समृद्ध, समर्थ और संकल्पित नए भारत के निर्माण में जुट जाएं। हम सभी के सामूहिक प्रयासों से ही भारत के की हर आकांक्षा, हर संकल्प सिद्ध होगा।

एक बार फिर राष्ट्रपतिजी का और आप सभी सदस्यों का मैं हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं इस भावना के साथ कि देश की एकता और अखंडता को प्राथमिकता देते हुए, भारत के संविधान की उच्च भावनाओं का आदर करते हुए हम सब मिल करके चलें, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना योगदान दें, इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ और इस चर्चा को समृद्ध करने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

\*\*\*

**वी.आर.आर.के./वंदना जाटव/निर्मल शर्मा**

(रिलीज़ आईडी: 1602886) आगंतुक पटल : 169

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Assamese , English , Urdu , Marathi , Manipuri , Bengali , Punjabi , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu , Kannada , Malayalam

प्रधानमंत्री कार्यालय

# श्री हरिवंश नारायण सिंह के राज्यसभा के उप-सभापति निर्वाचित होने पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी

प्रविष्टि तिथि: 14 SEP 2020 7:32PM by PIB Delhi

मैं श्रीमान हरिवंश जी को दूसरी बार इस सदन का उपसभापति चुने जाने पर पूरे सदन और सभी देशवासियों की तरफ से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

सामाजिक कार्यों और पत्रकारिता की दुनिया में हरिवंश जी ने जिस तरह अपनी ईमानदार पहचान बनाई है, उस वजह से मेरे मन में हमेशा उनके लिए बहुत सम्मान रहा है। मैंने महसूस किया है हरिवंश जी के लिए जो सम्मान और अपनापन मेरे मन में है, इन्हे करीब से जानने वाले लोगों के मन में है, वही अपनापन और सम्मान आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है। ये भाव, ये आत्मीयता हरिवंश जी की अपनी कमाई हुई पूंजी है। उनकी जो कार्यशैली है, जिस तरह सदन की कार्यवाही को वो चलाते हैं, उसे देखते हुए ये स्वाभाविक भी है। सदन में निष्पक्ष रूप से आपकी भूमिका लोकतंत्र को मजबूत करती है।

सभापति महोदय, इस बार ये सदन अपने इतिहास में सबसे अलग और विषम परिस्थितियों में संचालित हो रहा है। कोरोना के कारण जैसी परिस्थितियाँ हैं, उनमें ये सदन काम करे, देश के लिए जरूरी जिम्मेदारियों को पूरा करे, ये हम सबका कर्तव्य है। मुझे विश्वास है कि हम सब सारी सतर्कता बरतते हुए, सारे दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

राज्यसभा के सदस्य, सभापति जी अब उपसभापति जी को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में जितना सहयोग करेंगे, उतना ही समय का सदुपयोग होगा और सभी सुरक्षित रहेंगे।

सभापति महोदय, संसद के उच्च सदन की जिस जिम्मेदारी के लिए हरिवंश जी पर हम सबने भरोसा जताया था। हरिवंश जी ने उसे हर स्तर पर पूरा किया है। मैंने पिछली बार अपने संबोधन में कहा था, मुझे भरोसा है कि जैसे हरि सबके होते हैं, वैसे ही सदन के हरि भी पक्ष-विपक्ष सबके रहेंगे। सदन के हमारे हरि, हरिवंश जी, इस पार और उस पार सबके ही समान रूप से रहे, कोई भेदभाव नहीं कोई पक्ष-विपक्ष नहीं।

मैंने ये भी कहा था कि सदन के इस मैदान में खिलाड़ियों से ज्यादा अंपायर परेशान रहते हैं। नियमों में खेलने के लिए सांसदों को मजबूर करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। मुझे तो भरोसा था कि अंपायरी अच्छी करेंगे लेकिन जो लोग हरिवंश जी से अपरिचित थे, हरिवंश जी ने अपनी निर्णायक शक्ति, अपने फैसलों से उन सबका भी भरोसा जीत लिया।

सभापति महोदय, हरिवंश जी ने अपने दायित्व को कितनी सफलता से पूरा किया है, ये दो साल इसके गवाह हैं। सदन में जिस गहराई से बड़े-बड़े विधयों पर पूरी चर्चा कराई, उतनी ही तेजी से बिल पास कराने के लिए हरिवंश जी कई-कई घंटों तक लगातार बैठे रहे, सदन का कुशलता से संचालन करते रहे। इस दौरान देश के भविष्य को, देश की दिशा को बदलने वाले अनेको ऐताहासिक बिल इस सदन में पास हुए। पिछले साल ही इस सदन ने दस साल में सर्वाधिक productivity का रिकॉर्ड कायम किया। वो भी तब जब पिछला साल लोकसभा के चुनावों का साल था।

ये हरेक सदस्य के लिए गर्व की बात है कि सदन में productivity के साथ-साथ positivity भी बढ़ी है। यहां सभी खुलकर अपनी बात रख पाए। सदन का कामकाज नहीं रुके, स्थगन हो, इसका निरंतर प्रयास देखा गया है। इससे सदन की गरिमा भी बढ़ी है। संसद के उच्च सदन से यही अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने की थी। लोकतंत्र की धरती



बिहार से जेपी और कर्पूरी ठाकुर की धरती से, बापू के चंपारण की धरती से जब कोई लोकतंत्र का साधक आगे आकर जिम्मेदारियों को संभालता है तो ऐसा ही होता है जैसा हरिवंश जी ने करके दिखाया है।

जब आप हरिवंश जी के करीबियों से चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि वो क्यों इतना जमीन से जुड़े हुए हैं। उनके गांव में नीम के पेड़ के नीचे स्कूल लगता था, जहां उनकी शुरूआती पढ़ाई हुई थी। जमीन पर बैठकर जमीन को समझना, जमीन से जुड़ने की शिक्षा उन्हें वहीं से मिली थी।

हम सभी ये भलीभांति जानते हैं कि हरिवंश जी जयप्रकाश जी के ही गांव सिताब दियारा से आते हैं। यही गांव जयप्रकाश जी की भी जन्मभूमि है। दो राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार के तीन जिलों आरा, बलिया व छपरा में बंटा हुआ क्षेत्र, दो नदियां गंगा और घाघरा के बीच स्थित दियारा, टापू जैसा, हर साल जमीन बाढ़ से घिर जाती थी, बमुश्किल एक फसल हो पाती थी। तब कहीं जाने-आने के लिए सामान्य रूप से नदी नाव से पार करके ही जाया जा सकता था।

संतोष ही सुख है, यह व्यावहारिक ज्ञान हरिवंश जी को अपने गांव के घर की परिस्थिति से मिला। वो किस पृष्ठभूमि से निकले हैं, इसी से जुड़ा एक किस्सा मुझे किसी ने बताया था। हाई स्कूल में आने के बाद हरिवंश जी की पहली बार जूता बनाने की बात हुई थी। उससे पहले न उनके पास जूते थे और न ही खरीदे थे। ऐसे में गांव के एक व्यक्ति जो जूता बनाते थे, उनको हरिवंश जी के लिए जूता बनाने के लिए कहा गया। हरिवंश जी अक्सर उस बनते हुए जूते को देखने जाते थे कि कितना बना। जैसे बड़े रईस लोग अपना बंगला बनता है तो बार-बार देखने के लिए जाते हैं; हरिवंश जी अपना जूता कैसा बन रहा है, कहां तक पहुंचा है, वो देखने के लिए पहुंच जाते थे। जूता बनाने वाले से हर रोज सवाल करते थे कि कब तक बन जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिवंश जी जमीन से इतना क्यों जुड़े हुए हैं।

जेपी का प्रभाव उनके ऊपर बहुत ही था। उसी दौर में उनका किताबों से भी लगाव बढ़ता गया। उससे भी जुड़ा एक किस्सा मुझे पता चला। हरिवंश जी को जब पहली सरकारी scholarship मिली तो घर के कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि बेटा scholarship का पूरा पैसा लेकर घर आएगा। लेकिन हरिवंश जी ने scholarship के पैसे घर न ले जाने के बजाय किताबें खरीदीं। तमात तरह की संक्षिप्त जीवनियां, साहित्य, यही घर लेकर गए। हरिवंश जी के जीवन में उस समय किताबों को जो प्रवेश हुआ वो अब भी उसी तरह बरकरार है।

सभापति महोदय, करीब चार दशक तक सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करने के बाद हरिवंश जी ने 2014 में संसदीय जीवन में प्रवेश किया था। सदन के उपसभापति के तौर पर हरिवंश जी ने जिस तरह मर्यादाओं का ध्यान रखा, संसद सदस्य के तौर पर भी उनका कार्यकाल उतना ही गरिमापूर्ण रहा है। बतौर सदस्य तमाम विषयों, चाहे वो आर्थिक हो या सामरिक सुरक्षा से जुड़े हरिवंश जी ने अपनी बात प्रभावी ढंग से रखी थी।

हम सब जानते हैं शालीन लेकिन सारगर्भित ढंग से बात रखना उनकी पहचान है। सदन के सदस्य के तौर पर उन्होंने अपने उस ज्ञान, अपने उस अनुभव से देश की सेवा का पूरा प्रयास किया है। हरिवंश जी ने सभी अंतरराष्ट्रीय पटलों पर भारत की गरिमा, भारत के कद को बढ़ाने का काम भी किया है। चाहे वो Inter-parliamentary union की तमाम बैठकें हों या फिर दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के तौर पर भूमिका का निर्वाह हो। हरिवंश जी ने ऐसी हर जगह भारत और भारत के संसद का मान बढ़ाया है।

सभापति महोदय, सदन में उपसभापति की भूमिका के अलावा हरिवंश जी राज्यसभा की कई समितियों के अध्यक्ष भी रहे। ऐसी तमाम समितियों के अध्यक्ष के तौर पर हरिवंश जी ने समितियों के कामकाज को बेहतर बनाया है, उनकी भूमिका को प्रभावी ढंग से रेखांकित किया है।

मैंने पिछली बार भी ये बताया था कि हरिवंश जी कभी बतौर पत्रकार हमारा सांसद कैसा हो, ये मुहिम चलाते रहे हैं। सांसद बनने के बाद उन्होंने इस बात के लिए भरपूर प्रयत्न किया कि सभी सांसद अपने आचार-व्यवहार से और कर्तव्यनिष्ठ बनें।

सभापति महोदय, हरिवंश जी संसदीय कामकाज और जिम्मेदारियों के बीच भी एक बुद्धिजीवी और विचारक के तौर पर भी उतना ही सक्रिय रहते हैं। आप अभी भी देशभर में जाते हैं। भारत के आर्थिक, सामाजिक, सामरिक और राजनीतिक चुनौतियों के बारे में जनमानस को जागरूक करते हैं। इनके अंदर का पत्रकार, लेखक ज्यों का त्यों बना हुआ है। इनकी किताब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान चंद्रशेखर जी के जीवन को बारीकी से उभारती है, साथ ही, हरिवंश जी की लेखन क्षमता को भी प्रस्तुत करती है। मेरा और इस सदन के सभी सदस्यों का सौभाग्य है कि उपसभापति के रूप में हरिवंश जी का मार्गदर्शन आगे भी मिलेगा।

माननीय सभापति जी, संसद का ये उच्च सदन 250 सत्रों से आगे की यात्रा कर चुका है। ये यात्रा लोकतंत्र के तौर पर हमारी परिपक्वता का प्रमाण है। एक बार फिर से हरिवंश जी आपको इस महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और सदन में भी स्वस्थ माहौल बनाए रखते हुए एक उच्च सदन से जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करते रहें। हरिवंश जी को मुकाबला देने वाले मनोज झा जी को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लोकतंत्र की गरिमा के लिए चुनाव की ये प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमारा बिहार भारत की लोकतांत्रिक परम्परा की धरती रहा है। वैशाली की उस परंपरा को, बिहार के उस गौरव को, उस आदर्श को हरिवंश जी इस सदन के माध्यम से आप परिष्कृत करेंगे ऐसे मुझे विश्वास है।

मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को चुनाव की इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धन्यवाद अर्पित करता हूँ। एक बार फिर से हरिवंश जी को, सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई।

धन्यवाद।

\*\*\*

वीआरआरके/केपी/एनएस

(रिलीज़ आईडी: 1654184) आगंतुक पटल : 280

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Bengali , Manipuri , Assamese , Punjabi , Gujarati , Odia , Tamil ,  
Telugu , Kannada , Malayalam

प्रधानमंत्री कार्यालय

# नए संसद भवन के शिलान्यास अवसर पर प्रधानमंत्री के सम्बोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 10 DEC 2020 4:57PM by PIB Delhi

लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्रीमान हरिवंश जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री प्रह्लाद जोशी जी, श्री हरदीप सिंह पुरी जी, अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण, वर्चुअल माध्यम से जुड़े अनेक देशों की पार्लियामेंट के स्पीकर्स, यहां उपस्थित अनेक देशों के एम्बेसेडर्स, Inter-Parliamentary Union के मेंबर्स, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे देशवासियों, आज का दिन, बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पथर की तरह है। भारतीयों द्वारा, भारतीयता के विचार से ओत-प्रोत, भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे।

साथियों, इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा कि जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए, तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा, हमारी संसद की नई इमारत बने। आज 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं।

साथियों, नए संसद भवन का निर्माण, नूतन और पुरातन के सह-अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले, मैंने सिर झुकाकर, माथा टेककर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। हमारे वर्तमान संसद भवन ने आजादी के आंदोलन और फिर स्वतंत्र भारत को गढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज़ाद भारत की पहली सरकार का गठन भी यहीं हुआ और पहली संसद भी यहीं बैठी। इसी संसद भवन में हमारे संविधान की रचना हुई, हमारे लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। बाबा साहेब आंबेडकर और अन्य वरिष्ठों ने सेंट्रल हॉल में गहन मंथन के बाद हमें अपना संविधान दिया। संसद की मौजूदा इमारत, स्वतंत्र भारत के हर उतार-चढ़ाव, हमारी हर चुनौतियों, हमारे समाधान, हमारी आशाओं, आकांक्षाओं, हमारी सफलता का प्रतीक रही है। इस भवन में बना प्रत्येक कानून, इन कानूनों के निर्माण के दौरान संसद भवन में कही गई अनेक गहरी बातें, ये सब हमारे लोकतंत्र की धरोहर है।

साथियों, संसद के शक्तिशाली इतिहास के साथ ही यथार्थ को भी स्वीकारना उतना ही आवश्यक है। ये इमारत अब करीब-करीब सौ साल की हो रही है। बीते दशकों में इसे तत्कालीन जरूरतों को देखते हुए निरंतर अपग्रेड किया गया। इस प्रक्रिया में कितनी ही बार दीवारों को तोड़ा गया है। कभी नया साउंड सिस्टम, कभी फायर सेफ्टी सिस्टम, कभी IT सिस्टम। लोकसभा में बैठने की जगह बढ़ाने के लिए तो दीवारों को भी हटाया गया है। इतना कुछ होने के बाद संसद का ये भवन अब विश्राम मांग रहा है। अभी लोकसभा अध्यक्ष जी भी बता रहे थे कि किस तरह बरसों से मुश्किलों भरी स्थिति रही है, बरसों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की गई है। ऐसे में ये हम सभी का दायित्व बनता है कि 21वीं सदी के भारत को अब एक नया संसद भवन मिले। इसी दिशा में आज ये शुभारंभ हो रहा है। और इसलिए, आज जब हम एक नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं, तो वर्तमान संसद परिसर के जीवन में नए वर्ष भी जोड़ रहे हैं।

साथियों, नए संसद भवन में ऐसी अनेक नई चीजें की जा रही हैं जिससे सांसदों की Efficiency बढ़ेगी, उनके Work Culture में आधुनिक तौर-तरीके आएंगे। अब जैसे अपने सांसदों से मिलने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र से लोग आते हैं तो अभी जो संसद भवन है, उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है। आम जनता दिक्कत होती है, नागरिकों को

दिक्कत होती है, आम जनता को को अपनी कोई परेशानी अपने सांसद को बतानी है, कोई सुख-दुख बांटना है, तो इसके लिए भी संसद भवन में स्थान की बहुत कमी महसूस होती है। भविष्य में प्रत्येक सांसद के पास ये सुविधा होगी कि वो अपने क्षेत्र के लोगों से यहीं निकट में ही इसी विशाल परिसर के बीच में उनको एक व्यवस्था मिलेगी ताकि वो अपने संसदीय क्षेत्र से आए लोगों के साथ उनके सुख-दुख बांट सकें।

साथियों, पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। जैसे आज इंडिया गेट से आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने राष्ट्रीय पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेंगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है, आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करते हुए इसका निर्माण हुआ है।

साथियों, संसद भवन की शक्ति का स्रोत, उसकी ऊर्जा का स्रोत, हमारा लोकतंत्र है। आजादी के समय किस तरह से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व पर संदेह और शंकाएं जताई गई थीं, ये इतिहास का हिस्सा है। अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक विविधता और अनुभवहीनता जैसे अनेक तर्कों के साथ ये भविष्यवाणी भी कर दी गई थी कि भारत में लोकतंत्र असफल हो जाएगा। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश ने उन आशंकाओं को ना सिर्फ गलत सिद्ध किया है बल्कि 21वीं सदी की दुनिया भारत को एक अहम लोकतांत्रिक ताकत के रूप में आगे बढ़ते हुए देख भी रही है।

साथियों, लोकतंत्र भारत में क्यों सफल हुआ, क्यों सफल है और क्यों कभी लोकतंत्र पर आंच नहीं आ सकती, ये बात हमारी हर पीढ़ी को भी जानना-समझना बहुत आवश्यक है। हम देखते-सुनते हैं, दुनिया में 13वीं शताब्दी में रचित मैग्ना कार्टा की बहुत चर्चा होती है, कुछ विद्वान इसे लोकतंत्र की बुनियाद भी बताते हैं। लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि मैग्ना कार्टा से भी पहले 12वीं शताब्दी में ही भारत में भगवान बसवेश्वर का 'अनुभव मंटपम' अस्तित्व में आ चुका था। 'अनुभव मंटपम' के रूप में उन्होंने लोक संसद का न सिर्फ निर्माण किया था बल्कि उसका संचालन भी सुनिश्चित किया था। और भगवान बसेश्वर जी ने कहा था- यी अनुभवा मंटप जन सभा, नादिना मट्ठु राष्ट्रधा उन्नतिगे हागू, अभिवृद्धिगे पूरकावगी केलसा मादुत्थादे! यानि ये अनुभव मंटपम, एक ऐसी जनसभा है जो राज्य और राष्ट्र के हित में और उनकी उन्नति के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित करती है। अनुभव मंटपम, लोकतंत्र का ही तो एक स्वरूप था।

साथियों, इस कालखंड के भी और पहले जाएं तो तमिलनाडु में चेन्नई से 80-85 किलोमीटर दूर उत्तरामेरुर नाम के गांव में एक बहुत ही ऐतिहासिक साक्ष्य दिखाई देता है। इस गांव में चोल साम्राज्य के दौरान 10वीं शताब्दी में पत्थरों पर तमिल में लिखी गई पंचायत व्यवस्था का वर्णन है। और इसमें बताया गया है कि कैसे हर गांव को कुडुंबु में कैटेगरीज किया जाता था, जिनको हम आज वार्ड कहते हैं। इन कुडुंबुओं से एक-एक प्रतिनिधि महासभा में भेजा जाता था, और जैसा आज भी होता है। इस गांव में हजार वर्ष पूर्व जो महासभा लगती थी, वो आज भी वहां मौजूद है।

साथियों, एक हजार वर्ष पूर्व बनी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक और बात बहुत महत्वपूर्ण थी। उस पत्थर पर लिखा हुआ है उस आलेख में वर्णन है इसका और उसमें कहा गया है कि जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का भी प्रावधान था उस जमाने में, और नियम क्या था- नियम ये था कि जो जनप्रतिनिधि अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देगा, वो और उसके करीबी रिश्तेदार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कितने सालों पहले सोचिए, कितनी बारीकी से उस समय पर हर पहलू को सोचा गया, समझा गया, अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं का हिस्सा बनाया गया।

साथियों, लोकतंत्र का हमारा ये इतिहास देश के हर कोने में नजर आता है, कोने-कोने में नजर आता है। कुछ शब्दों से तो हम बराबर परिचित हैं- सभा, समिति, गणपति, गणाधिपति, ये शब्दावलि हमारे मन-मस्तिष्क में सदियों से प्रवाहित है। सदियों पहले शाक्या, मल्लम और वेज्जी जैसे गणतंत्र हों, लिच्छवी, मल्लक मरक और कम्बोज जैसे

गणराज्य हों या फिर मौर्य काल में कलिंग, सभी ने लोकतंत्र को ही शासन का आधार बनाया था। हजारों साल पहले रचित हमारे वेदों में से ऋग्वेद में लोकतंत्र के विचार को समझाने यानि समूह चेतना, Collective Consciousness के रूप में देखा गया है।

साथियों, आमतौर पर अन्य जगहों पर जब डेमोक्रेसी की चर्चा होती है तो ज्यादातर चुनाव, चुनाव की प्रक्रिया, इलेक्टेड मेंबर्स, उनके गठन की रचना, शासन-प्रशासन, लोकतंत्र की परिभाषा इन्हीं चीजों के आसपास रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था पर अधिक बल देने को ही ज्यादातर स्थानों पर उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है। भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र, सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। भारत के लिए लोकतंत्र में, जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है। समय-समय पर इसमें व्यवस्थाएं बदलती रहीं, प्रक्रियाएं बदलती रहीं लेकिन आत्मा लोकतंत्र ही रही। और विडंबना देखिए, आज भारत का लोकतंत्र हमें पश्चिमी देशों से समझाया जाता है। जब हम विश्वास के साथ अपने लोकतांत्रिक इतिहास का गौरवगान करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी- India is Mother of Democracy.

साथियों, भारत के लोकतंत्र में समाहित शक्ति ही देश के विकास को नई ऊर्जा दे रही है, देशवासियों को नया विश्वास दे रही है। दुनिया के अनेक देशों में जहां लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर अलग स्थिति बन रही है, वहीं भारत में लोकतंत्र नित्य नूतन हो रहा है। हाल के बरसों में हमने देखा है कि कई लोकतांत्रिक देशों में अब वोटर टर्नआउट लगातार घट रहा है। इसके विपरीत भारत में हम हर चुनाव के साथ वोटर टर्नआउट को बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसमें भी महिलाओं और युवाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ती जा रही है।

साथियों, इस विश्वास की, इस आस्था की वजह है। भारत में लोकतंत्र, हमेशा से ही गवर्नेंस के साथ ही मतभेदों और विरोधाभासों को सुलझाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी रहा है। अलग-अलग विचार, अलग-अलग दृष्टिकोण, ये सब बातें एक vibrant democracy को सशक्त करते हैं। Differences के लिए हमेशा जगह हो लेकिन disconnect कभी ना हो, इसी लक्ष्य को लेकर हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ा है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है- जब लगे दुनिया रही ए नानक। किछु सुणिए, किछु कहिए।। यानि जब तक संसार रहे तब तक संवाद चलते रहना चाहिए। कुछ कहना और कुछ सुनना, यही तो संवाद का प्राण है। यही लोकतंत्र की आत्मा है। Policies में अंतर हो सकता है, Politics में भिन्नता हो सकती है, लेकिन हम Public की सेवा के लिए हैं, इस अंतिम लक्ष्य में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। वाद-संवाद संसद के भीतर हों या संसद के बाहर, राष्ट्रसेवा का संकल्प, राष्ट्रहित के प्रति समर्पण लगातार झलकना चाहिए। और इसलिए, आज जब नए संसद भवन का निर्माण शुरू हो रहा है, तो हमें याद रखना है कि वो लोकतंत्र जो संसद भवन के अस्तित्व का आधार है, उसके प्रति आशावाद को जगाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें ये हमेशा याद रखना है कि संसद पहुंचा हर प्रतिनिधि जवाबदेह है। ये जवाबदेही जनता के प्रति भी है और संविधान के प्रति भी है। हमारा हर फैसला राष्ट्र प्रथम की भावना से होना चाहिए, हमारे हर फैसले में राष्ट्रहित सर्वोपरि रहना चाहिए। राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए हम एक स्वर में, एक आवाज़ में खड़े हों, ये बहुत ज़रूरी है।

साथियों, हमारे यहां जब मंदिर के भवन का निर्माण होता है तो शुरू में उसका आधार सिर्फ ईंट-पत्थर ही होता है। कारीगर, शिल्पकार, सभी के परिश्रम से उस भवन का निर्माण पूरा होता है। लेकिन वो भवन, एक मंदिर तब बनता है, उसमें पूर्णता तब आती है जब उसमें प्राण-प्रतिष्ठा होती है। प्राण-प्रतिष्ठा होने तक वो सिर्फ एक इमारत ही रहता है।

साथियों, नया संसद भवन भी बनकर तो तैयार हो जाएगा लेकिन वो तब तक एक इमारत ही रहेगा जब तक उसकी प्राण-प्रतिष्ठा नहीं होगी। लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा किसी एक मूर्ति की नहीं होगी। लोकतंत्र के इस मंदिर में इसका कोई विधि-विधान भी नहीं है। इस मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा करेंगे इसमें चुनकर आने वाले जन-प्रतिनिधि। उनका समर्पण, उनका सेवा भाव इस मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा करेगा। उनका आचार-विचार-व्यवहार, इस लोकतंत्र के मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा करेगा। भारत की एकता-अखंडता को लेकर किए गए उनके प्रयास, इस मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा की ऊर्जा बनेंगे। जब एक-एक जनप्रतिनिधि, अपना ज्ञान, अपना कौशल्य, अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा, अपना अनुभव पूर्ण रूप



से यहां निचोड़ देगा, राष्ट्रहित में निचोड़ देगा, उसी का अभिषेक करेगा, तब इस नए संसद भवन की प्राण-प्रतिष्ठा होगी। यहां राज्यसभा, Council of States है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बल देती है। राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास, राष्ट्र की मजबूती के लिए राज्य की मजबूती, राष्ट्र के कल्याण के लिए राज्य का कल्याण, इस मूलभूत सिद्धांत के साथ काम करने का हमें प्रण लेना है। पीढ़ी दर पीढ़ी, आने वाले कल में जो जनप्रतिनिधि यहां आएंगे, उनके शपथ लेने के साथ ही प्राण-प्रतिष्ठा के इस महायज्ञ में उनका योगदान शुरू हो जाएगा। इसका लाभ देश के कोटि-कोटि जनों को होगा। संसद की नई इमारत एक ऐसी तपोस्थली बनेगी जो देशवासियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए काम करेगी, जनकल्याण का कार्य करेगी।

साथियों, 21वीं सदी भारत की सदी हो, ये हमारे देश के महापुरुषों और महान नारियों का सपना रहा है। लंबे समय से इसकी चर्चा हम सुनते आ रहे हैं। 21वीं सदी भारत की सदी तब बनेगी, जब भारत का एक-एक नागरिक अपने भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपना योगदान देगा। बदलते हुए विश्व में भारत के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। कभी-कभी तो लगता है जैसे अवसर की बाढ़ आ रही है। इस अवसर को हमें किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में हाथ से नहीं निकलने देना है। पिछली शताब्दी के अनुभवों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उन अनुभवों की सीख, हमें बार-बार याद दिला रही है कि अब समय नहीं गंवाना है, समय को साधना है।

साथियों, एक बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण बात का मैं आज जिक्र करना चाहता हूं। वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने देश की जनता के सामने, अगले 50 सालों के लिए एक आह्वान किया था। और स्वामीजी ने कहा था कि आने वाले 50 सालों तक भारत माता की आराधना ही सर्वोपरि हो। देशवासियों के लिए उनका यही एक काम था भारत माता की आराधना करना। और हमने देखा उस महापुरुष की वाणी की ताकत, इसके ठीक 50 वर्ष बाद, 1947 में भारत को आजादी मिल गई थी। आज जब संसद के नए भवन का शिलान्यास हो रहा है, तो देश को एक नए संकल्प का भी शिलान्यास करना है। हर नागरिक को नए संकल्प का शिलान्यास करना है। स्वामी विवेकानंद जी के उस आह्वान को याद करते हुए हमें ये संकल्प लेना है। ये संकल्प हो India First का, भारत सर्वोपरि। हम सिर्फ और सिर्फ भारत की उन्नति, भारत के विकास को ही अपनी आराधना बना लें। हमारा हर फैसला देश की ताकत बढ़ाए। हमारा हर निर्णय, हर फैसला, एक ही तराजू में तौला जाए। और वो तराजू है- देश का हित सर्वोपरि, देश का हित सबसे पहले। हमारा हर निर्णय, वर्तमान और भावी पीढ़ी के हित में हो।

साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने तो 50 वर्ष की बात की थी। हमारे सामने 25-26 साल बाद आने वाली भारत की आजादी की सौवीं वर्षगांठ है। जब देश वर्ष 2047 में अपनी स्वतंत्रता के सौवें वर्ष में प्रवेश करेगा, तब हमारा देश कैसा हो, हमें देश को कहां तक ले जाना है, ये 25-26 वर्ष कैसे हमें खप जाना है, इसके लिए हमें आज संकल्प लेकर काम शुरू करना है। जब हम आज संकल्प लेकर देशहित को सर्वोपरि रखते हुए काम करेंगे तो देश का वर्तमान ही नहीं बल्कि देश का भविष्य भी बेहतर बनावेंगे। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, समृद्ध भारत का निर्माण, अब रुकने वाला नहीं है, कोई रोक ही नहीं सकता।

साथियों, हम भारत के लोग, ये प्रण करें- हमारे लिए देशहित से बड़ा और कोई हित कभी नहीं होगा। हम भारत के लोग, ये प्रण करें- हमारे लिए देश की चिंता, अपनी खुद की चिंता से बढ़कर होगी। हम भारत के लोग, ये प्रण करें- हमारे लिए देश की एकता, अखंडता से बढ़कर कुछ नहीं होगा। हम भारत के लोग, ये प्रण करें- हमारे लिए देश के संविधान की मान-मर्यादा और उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति, जीवन का सबसे बड़ा ध्येय होगी। हमें गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर की ये भावना हमेशा याद रखनी है। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भावना क्या थी, गुरुदेव कहते थे- एकोता उत्साहो धारो, जातियो उन्नति को, घुशुक भुबोने शोबे भारोतेर जाँय! यानि एकता का उत्साह थामे रहना है। हर नागरिक उन्नति करे, पूरे विश्व में भारत की जय-जयकार हो!

मुझे विश्वास है, हमारी संसद का नया भवन, हम सभी को एक नया आदर्श प्रस्तुत करने की प्रेरणा देगा। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता हमेशा और मजबूत होती रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और 2047 के संकल्प के साथ पूरे के पूरे देशवासियों को चल पड़ने के लिए निमंत्रण देता हूं।

आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद!!

\*\*\*\*\*

डीएस/वीजे/बीएम

(रिलीज़ आईडी: 1679697) आगंतुक पटल : 867

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Manipuri , Bengali , Assamese , Punjabi , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu , Kannada , Malayalam